[2018] 11 एस. सी. आर. 546

एमआरएस। कनिका गोएल

वी.

एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य।

(2018 की आपराधिक अपील सं. 635-640)

20 जुलाई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

अभिरक्षा: नाबालिग लड़की की अभिरक्षा-तथ्यों पर दावा, अपीलार्थी की पत्नी और प्रतिवादी संख्या 2-पति के अनुसार विवाह

नई दिल्ली में सिख संस्कार और हिंदू वैदिक संस्कार-तीन महीने बाद पार्टियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नागरिक विवाह किया-लड़की का जन्म

एम-अपीलार्थी नाबालिग बेटी के साथ अमेरिका से भाग गया और दिल्ली में तलाक की याचिका दायर की-प्रतिवादी नं। 2 यू. एस. में अभिरक्षा कार्यवाही दायर की और एक अभिरक्षा आदेश प्राप्त किया-हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा गैर-अनुपालन-प्रत्यर्थी नं। 2 नाबालिग बेटी को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने और वापस करने का निर्देश देने के लिए

उसे अमेरिकी अदालत के आदेश के अनुपालन में अमेरिका में अदालत के अधिकार क्षेत्र में-दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति-पर अपील की गई: अदालत को नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करते हुए तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए-तथ्यों पर, नाबालिग बच्चे की अमेरिका वापसी का निर्देश देने का कोई ठोस कारण नहीं है और न ही वह उसके साथ रह रही है।

माँ (अपीलार्थी), नई दिल्ली में मातृ दादा-दादी और विस्तारित परिवार के साथ, किसी भी तरह से उसके लिए पूर्वाग्रहपूर्ण, उसे अमेरिका लौटने की गारंटी देते हुए-जैविक माँ को नाबालिग लड़की के साथ अमेरिका लौटने का निर्देश देने के बजाय, ताकि अमेरिका में सक्षम अदालत के समक्ष पेश होने के लिए, नाबालिग लड़की एम की अभिरक्षा अपीलार्थी के साथ तब तक रहे जब तक कि वह उम्र प्राप्त न कर ले।

बहुसंख्यक या सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए, इसके विपरीत आदेश देता है, जब भी वह भारत का दौरा करेगा, जैविक पिता से मिलने और उनसे संपर्क करने के अधिकारों के साथ-परिवार न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर, अपीलकर्ता अमेरिकी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने और अपना बचाव करने के लिए-उसकी

मुकदमेबाजी, यात्रा खर्च और अमेरिका में रहने का खर्च प्रतिवादी नं। 2 - इसे ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

546 एमआरएस। कनिका गोएल बनाम। एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि महिला नाबालिग बच्चे की उसकी जैविक मां के साथ अभिरक्षा गैरकानूनी होगी।

क्योंकि इसके विपरीत अनुमान है। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आगे कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उसे नाबालिग महिला बच्चे की मूल देश में वापसी के अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा जाता है, तो उसके पास संक्षिप्त जांच या विस्तृत जांच का सहारा लेने का विकल्प है, जो दिए गए मामले की तथ्य स्थिति में आवश्यक हो सकता है। तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह विस्तृत जांच करने के लिए इच्छुक नहीं है। सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए अप्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखा कि नाबालिग महिला बच्चे, जो अपनी जैविक मां की हिरासत में थी, को उसके मूल देश वापस कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय को नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करते हुए तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए। तत्काल मामले में उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से अपीलार्थी की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया और उन शिकायतों को खारिज करते हुए, नाबालिग लड़की को उसके मूल देश लौटने का निर्देश देकर प्रतिवादी संख्या 2 को राहत प्रदान की। तथ्यों की समग्रता पर और

परिस्थितियों में, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि मूल भाषा (अंग्रेजी) नहीं बोली जाती है या बच्चे को तलाक दे दिया गया है सामाजिक रीति-रिवाज जिनके वह आदी हो चुकी हैं। इसी तरह, नाबालिग बच्ची ने अपनी माँ के साथ नई दिल्ली आने से पहले यू. एस. ए. में प्री-स्कूल में प्रवेश किया था। इस मायने में, उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं था या उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने वाली शिक्षा की विदेशी प्रणाली के अधीन नहीं किया गया था। दूसरी ओर, नाबालिग बच्चा एम नई दिल्ली आने के बाद से अपनी माँ और नाना-नानी और अन्य रिश्तेदारों की उचित देखभाल में है। यदि वह प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दावा की गई राहत के अनुसार अमेरिका लौटती है, तो वह अनिवार्य रूप से एक नानी की देखभाल में होगी क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 दिन के समय काम के लिए बाहर होगी और परिवार में से कोई भी उसकी देखभाल करने के लिए घर पर नहीं होगा। उसे एक प्रशिक्षित नानी के अधीन रखना हानिकारक नहीं हो सकता है लेकिन इससे निश्चित रूप से बचा जा सकता है। क्योंकि, नाबालिग बच्चे के अपनी माँ से अलग होने के बाद मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान होने की संभावना है, जो [2018] 11 एस. सी. आर. की प्राथमिक देखभाल करने वाली है।

उसे। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी संख्या 2 की प्रार्थना के अनुसार नाबालिग बच्चे एम की अमेरिका वापसी का निर्देश देने का कोई ठोस कारण नहीं है और न ही नई दिल्ली में उसकी मां के साथ, उसके नाना-नानी और विस्तारित परिवार के साथ रहने का कोई कारण है, जो किसी भी तरह से उसके लिए प्रतिकूल है, जिससे उसकी अमेरिका वापसी सुनिश्चित होती है। [पैरा 22] [580-एफ-एच; 581-ए-जी]

1.2 इस मुद्दे का निर्णय नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का दावा करने वाले पक्षों के अधिकारों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए

नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित का तथ्य मूल देश लौटना है या नहीं, इस पर लगातार बने रहना चाहिए। तथ्य यह है कि नाबालिग बच्चे की बेहतर संभावनाएँ होंगी

उसके मूल देश में वापसी, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा प्रदान करने के लिए एक ठोस कार्यवाही में एक प्रासंगिक पहलू हो सकता है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में सीमा मुद्दों की जांच करने के लिए निर्णायक नहीं हो सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के प्रयोजन के लिए, न्यायालय को नाबालिग बच्चे की उन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें मूल देश से हटा दिया गया है और उसे विदेशी वातावरण, भाषा, प्रथा आदि का सामना करने के लिए ले जाया गया है जो उसके समग्र विकास और संवारने में हस्तक्षेप करते हैं और क्या

1.3 नाबालिग बच्चा एम जन्म से अमेरिकी नागरिक है। वह अपने पैतृक देश में तीन साल से अधिक समय से पली-बढ़ी है। उसकी जैविक माँ (अपीलार्थी) द्वारा नई दिल्ली लाया गया था। उन्होंने यू. एस. ए. के एक प्री-स्कूल में दाखिला लिया था। अपने पिता (उत्तरदाता संख्या 2) के साथ उनका स्वस्थ संबंध था। उसके दादा-दादी

कुछ अंतराल पर अमेरिका में उनसे मिलने जाया करता था। वह दिन के समय एक नानी की देखभाल में थी, क्योंकि उसके माता-पिता काम कर रहे थे। वास्तव में, उसके पिता का कार्यस्थल घर के पास है। द.

संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थायी निवासी-ग्रीन कार्ड धारक और उसने अमेरिकी नागरिकता के लिए भी आवेदन किया है। दिल्ली के समक्ष दायर अपने हलफनामे में उच्च न्यायालय में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी कानूनी स्थिति जटिल थी क्योंकि वह भारतीय नागरिक नहीं रह गई हैं और उनकी संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता की स्थिति अधर में है। [पैरा 24] [582-सी-एफ] एमआरएस।

कनिका गोएल बनाम। एस. एच. ओ. के माध्यम से दिल्ली राज्य

AND ANDR।

अमेरिकी नागरिक और मां संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थायी निवासी हैं, निकटतम संपर्क और अधिकार क्षेत्र संभवतः कुक काउंटी, इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्किट कोर्ट का है। हालाँकि, यह नहीं समझा जा सकता है कि इस संबंध में कोई अंतिम राय व्यक्त की गई है। उसी समय, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पहले सिख संस्कारों और हिंदू वैदिक संस्कारों के अनुसार विवाह किया और उस विवाह को नई दिल्ली में संपन्न किया गया, जिस समय अपीलार्थी का विवाह हुआ था। स्वीकार्य रूप से भारत का नागरिक। वर्तमान में, वह केवल अमेरिका की ग्रीन कार्ड धारक (स्थायी निवासी) हैं। इसलिए, यह बहस योग्य है कि क्या नई दिल्ली के परिवार न्यायालय, जहां अपीलकर्ता पहले ही विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर कर चुका है, के पास नाबालिग बच्चे के संबंध में अभिरक्षा और संरक्षकता के प्रश्न पर निर्णय लेने सहित उस ओर से अधिकार क्षेत्र है।

उस न्यायालय के समक्ष नाबालिग बच्चा एम। [पैरा 25] [582-जी-एच; 583-ए-सी]

1.5 अपीलार्थी और नाबालिग बच्चा वर्तमान में नई दिल्ली में हैं और अपीलार्थी का उसके पास लौटने का कोई इरादा नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में वैवाहिक गृह अपीलार्थी को अपने पिछले अनुभव के कारण आशंकाएँ और गंभीर आपत्तियाँ हैं

जिनके संबंध में इस कार्यवाही में विस्तार करना आवश्यक नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है, जिसे विवाह के विघटन और/या नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा देने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, जैसा भी मामला हो। कुछ समय के लिए, पार्टियों को इससे बचना चाहिए दो अलग-अलग देशों में समानांतर कार्यवाही का पीछा करना। इसके लिए,

दोनों पक्षों के बीच पहली शादी नई दिल्ली में आनंद कारज समारोह और हिंदू वैदिक संस्कारों के अनुसार की गई थी और शादी को भंग करने के लिए नई दिल्ली में याचिका दायर की गई है। जबकि, सिविल विवाह समारोह संयुक्त राज्य अमेरिका में चार महीने के बाद हुआ। यह अमेरिका में अपीलार्थी के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने और अमेरिका के स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। यह उचित है कि कार्यवाही [2018] 11 एस. सी. आर.

नई दिल्ली के परिवार न्यायालय में लंबित मामलों का निर्णय सबसे पहले उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के सवाल सहित किया जाता है। उक्त कार्यवाही के परिणाम के आधार पर, पक्षकार

सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष ऐसे अन्य उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा जो कानून में अनुज्ञेय हों। [पैरा 26] [583-सी-जी]

1.6 यह सच है कि प्रतिवादी संख्या 2 और नाबालिग बच्चा एम दोनों ही अमेरिकी नागरिक हैं। नाबालिग लड़की के पास अमेरिकी पासपोर्ट है और एक कार्यकाल वीजा पर भारत की यात्रा की है जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अवैध रूप से अपनी जैविक हिरासत में है।

माँ। अपीलार्थी के साथ उसकी अभिरक्षा फिर भी विधिसम्मत होगी। अपीलार्थी ने पहले ही नई दिल्ली के पारिवारिक न्यायालय में तलाक की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रतिवादी संख्या 2 ने नाबालिग लड़की की अभिरक्षा के लिए अमेरिका में अदालत के समक्ष कार्यवाही भी दायर की है, जिसमें उसे अमेरिका में अपने प्राकृतिक वातावरण में लौटने का निर्देश दिया गया है। ऐसी स्थिति में, निथ्या आनंद राघवन के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्देशित व्यवस्था से इसके विशिष्ट तथ्यों में एक उचित आदेश पारित करने में कुछ मदद मिल सकती है। मामला, जैविक माँ को नाबालिग लड़की के साथ अमेरिका लौटने का निर्देश देने के बजाय, ताकि अमेरिका में सक्षम अदालत के समक्ष पेश हो सके। इसमें, नाबालिग लड़की एम की अभिरक्षा तब तक अपीलार्थी के पास रहेगी जब तक कि वह बालिग होने की आयु प्राप्त नहीं कर लेती है या सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के मुद्दे की सुनवाई करता है, इसके विपरीत आदेश देता है, जब भी वह भारत की यात्रा करेगा और विशेष रूप से अंतरिम आदेश में वर्णित जैविक पिता से मिलने और पहुँच के अधिकारों के साथ। [पैरा 27] [583-जी-एच; 584-ए-डी]

1.7 तथापि, पारिवारिक न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर, अपीलार्थी तब हो सकता है:

अमेरिकी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने के लिए कानूनी रूप से बाध्य और सर्किट कोर्ट यूएसए के समक्ष अपने कारण का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी पसंद के वकीलों को शामिल करके उक्त कार्यवाही में प्रभावी ढंग से अपना बचाव करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। उस स्थिति में, प्रत्यर्थी संख्या 2 मुकदमेबाजी की लागत और अपीलार्थी द्वारा किए जाने वाले खर्चों को वहन करेगा।

अमेरिकी अदालतों के समक्ष कार्यवाही, हवाई किराया या अपीलार्थी और नाबालिग बच्चे एम से एम. आर. एस. की यात्रा के लिए टिकट खरीदना।

कनिका गोएल बनाम। एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के लिए उनकी वापसी यात्रा सहित, जो भी आवश्यक हो। प्रत्यर्थी संख्या 2 भी सभी को उपयुक्त बनाएगा। अपीलार्थी और उसके साथियों के आरामदायक ठहराव के लिए उसकी पसंद के एक स्वतंत्र स्थान पर, उचित समय पर व्यवस्था करना।

लागत। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं करेगा और यदि उस संबंध में उसके द्वारा शुरू की गई कोई भी कार्यवाही लंबित है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा और संबंधित न्यायालय के समक्ष आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। [पैरा 28] [584-डी-जी]

1.8 अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 को जल्द से जल्द सुनिश्चित करना चाहिए।

अपीलार्थी को नाबालिग लड़की की अभिरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यवाही का निपटान, परिवार न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष स्थापित और लंबित। के विवादित निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय को दरकिनार कर दिया जाता है और रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। [पैरा 29,30] [584-एच; 585-ए-बी]

के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र. वी. भारत संघ और अन्य। (2017)

10 एससीसी 1; निथ्या आनंद राघवन बनाम। राज्य (एन. सी. टी.

दिल्ली) और एएनआर। (2017) 8 एस. सी. सी. 454; प्रतीक गुप्ता बनाम शिल्पी

गुप्ता और ओआरएस। (2018) 2 एस. सी. सी. 309; सुरिंदर कौर

संधू वी. हरबक्स सिंह संधू और अन्र। (1984) 3 एससीसी

698 : [1984] 3 एससीआर 422; अविरल मित्तल बनाम। राज्य (2009)

112 डी. आर. जे. 635; शिल्पा अग्रवाल बनाम अविरल मित्तल और

एन. आर. (2010) 1 एससीसी 591: [2009] 16 एससीआर 287; डॉ. वी.

रवि चंद्रन बनाम। भारत संघ और अन्य। (2010) 1 एससीसी

174 : [2009] 15 एस. सी. आर. 960-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2017) 10 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

(2017) 8 एससीसी 454

पै

रा 12

संदर्भित किया गया है

(2018) 2 एस. सी. सी. 309

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[1984] 3 एससीआर 422

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

(2009) 112 डी. आर. जे 635

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2009] 16 एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2009] 15 एससीआर 960

संदर्भित किया गया है

[2018] 11 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

नं. 635-640 2018 का नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.11.2017,01.12.2017 और 06.12.2017 के निर्णय और आदेश से। (सीआरएल।) 2017 का सं. 374 और क्र. सं. 2017 का एम. ए. सं. 2007।

सुश्री मालविका राजकोटिया, लक्ष्मी रमन सिंह, प्रभजीत जौहर, सुश्री उपासना गोयल, सुश्री ऐश्वर्या, एस. एस. जौहर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

2017 का <आई. डी. 1, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपनी नाबालिग बेटी एम. को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए दायर रिट याचिका ( ), जो रिट याचिका दायर करने के समय लगभग 3 वर्ष की आयु का था और कुक काउंटी, इलिनोइस, यू. एस. ए. के सर्किट कोर्ट द्वारा 13 जनवरी, 2017 को पारित आदेश के अनुपालन में संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में एम की वापसी के निर्देश के लिए अनुमति दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया क्योंकि एम उसकी हिरासत में थी, अपीलार्थी एम की माँ थी।

2. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने जोर देकर कहा कि वह भारत में पैदा हुआ था लेकिन वर्तमान में 2005 से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है। वह 'गेट सेट लर्निंग' नामक कंपनी के सी. ई. ओ. के रूप में काम कर रहे हैं। अपीलार्थी उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चे की माँ है एम. वह एक अमेरिकी स्थायी निवासी और "ग्रीन कार्ड" धारक है और उसने 2 दिसंबर, 2016 को अमेरिकी नागरिकता के लिए भी आवेदन किया है। प्रासंगिक समय में, वह इलिनोइस राज्य में एक प्रमाणित शिक्षक थीं और शिकागो पब्लिक स्कूलों में एक विशेष शिक्षा कक्षा सहायक के रूप में कार्यरत थीं। प्रतिवादी संख्या 2 और अपीलार्थी ने 31 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में सिख संस्कारों, यानी आनंद करज समारोह और हिंदू वैदिक संस्कारों के अनुसार शादी कर ली। दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट रूप से समझा गया था कि अपीलार्थी, विवाह के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवादी संख्या 2 के साथ रहेगा। आखिरकार, अपीलार्थी ने मंगेतर वीजा पर यू. एस. ए. की यात्रा की और फिर से प्रतिवादी नंबर 2 से शादी कर ली।

19 मार्च, 2011 में शिकागो, इलिनोइस में कुक काउंटी कोर्ट में। विवाह से पहले, दोनों पक्षों ने 20 अक्टूबर, 2010 को एक विवाह-पूर्व समझौता किया, जिसे राज्य के एम. आर. एस. कानूनों के अनुसार लागू किया जा सकता है।

कनिका गोएल बनाम। एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका। अपीलार्थी ने तब शिकागो पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक के रूप में नौकरी की और एक अमेरिकी स्थायी नागरिक ग्रीन कार्ड भी प्राप्त किया। अपीलार्थी गर्भवती हो गई और 15 फरवरी, 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एम को जन्म दिया। इस प्रकार एम एक स्वाभाविक रूप से जन्मे अमेरिकी नागरिक हैं और अपने जन्म से इलिनोइस राज्य, यू. एस. ए. में अधिवासित थीं, जब तक कि उन्हें दिसंबर 2016 में अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी से मिलने के लिए नई दिल्ली की एक छोटी यात्रा करने की आड़ में गुप्त रूप से हटा नहीं दिया गया था।

माता-पिता। 3. अपीलार्थी 7 जनवरी, 2017 को शिकागो लौटने वाली थी, लेकिन वह लापता हो गई और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "1955 अधिनियम") की धारा 13 (1) के तहत एच. एम. ए. के रूप में एक याचिका दायर की।

7 तारीख को 1955 के अधिनियम की धारा 26 के तहत एक आवेदन के साथ क्रूरता के आधार पर विवाह को भंग करने की मांग करने वाला 2017 का मामला

4. हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2 ने माता-पिता की जिम्मेदारियों और पालन-पोषण के समय के अस्थायी आवंटन के लिए एक आपातकालीन याचिका दायर की। उनके पक्ष में या वैकल्पिक रूप से, 9 जनवरी, 2017 को कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के समक्ष उनकी नाबालिग बेटी एम के कब्जे के लिए सुरक्षा का एक आपातकालीन आदेश। अपीलार्थी को 13 जनवरी, 2017 को प्रस्तावित सुनवाई के बारे में सूचित करते हुए ई-मेल द्वारा आपातकालीन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी।

5. इस बीच, 11 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में परिवार न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को एक नया नोटिस जारी किया और एक पूर्व नोटिस पारित किया।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन पर एक पक्षीय आदेश, प्रतिवादी संख्या 2 को अगले आदेश तक नाबालिग बच्चे को उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से हटाने से रोकना।

6. दूसरी ओर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 13 जनवरी, 2017 को एस. एच. ओ. वसंत कुंज के समक्ष लापता व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराई। (दक्षिण), पी. एस. नई दिल्ली, जिसे 14 जनवरी, 2017 को पुलिस स्टेशन द्वारा स्वीकार किया गया था। उक्त शिकायत के अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 ने 13 जनवरी, 2017 को कुक काउंटी, इलिनोइस, यू. एस. ए. के सर्किट कोर्ट का रुख किया, जब नाबालिग बच्चे की अंतरिम एकल अभिरक्षा के लिए एक एकतरफा आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश इस प्रकार है:

" 1) बच्चा एम का जन्म 15.02.2014 पर शिकागो, इलिनोइस में हुआ था और वह पूरी तरह से अपने पूरे जीवन के लिए शिकागो में रही थी (विशेष रूप से 360 वर्ष की आयु में)।

ईस्ट रैंडोल्फ स्ट्रीट, शिकागो, आईएल 60601) भी एक अमेरिकी नागरिक है।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2) बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस राज्य का एक आदतन निवासी है जो कभी भी कहीं और नहीं रहा है। समान बाल अभिरक्षा क्षेत्राधिकार प्रवर्तन अधिनियम के अनुसार इलिनोइस बच्चे का गृह राज्य है।

3) करण गोयल नाबालिग बच्चे के स्वाभाविक पिता हैं और उन्हें नाबालिग बच्चे की अंतरिम एकमात्र अभिरक्षा दी गई है। बच्चे को तुरंत कुक काउंटी, इलिनोइस, यू. एस. ए. में स्थित निवास पर वापस भेजा जाना है।

उत्तरदाता।

4) कुक काउंटी, इलिनोइस न्यायालय जिसमें व्यक्तिगत और विषय हैं

पक्षकारों और मामलों पर अधिकार क्षेत्र। 5) भेंट, बाल सहायता के संबंध में आगे के सभी मुद्दे आरक्षित हैं।

अदालत के अगले आदेश तक "।

7. अपीलार्थी ने कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 ने एक रिट याचिका दायर की

1 फरवरी, 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने और अपीलार्थी को नाबालिग बच्चे एम को पेश करने और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालत के अधिकार क्षेत्र में वापस लाने का निर्देश देने के लिए, कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित 13 जनवरी, 2017 के आदेश के अनुपालन में, ताकि नाबालिग बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने में सक्षम बनाया जा सके और यदि अपीलार्थी एक निश्चित समय अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो अपीलार्थी को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा तुरंत प्रतिवादी संख्या 2 (रिट याचिकाकर्ता) को सौंपने का निर्देश दिया जाए ताकि वह नाबालिग बच्चे को अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र में ले जा सके।

8. इस रिट याचिका को अपीलार्थी ने चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी और उसके माता-पिता की उपस्थिति में नाबालिग बच्चे को प्रतिवादी संख्या 2 तक पहुँच देने के संबंध में अंतरिम आदेश जारी किए। अंत में, पक्षों के बीच सभी विवादास्पद मुद्दों का उत्तर उच्च न्यायालय द्वारा 16 नवंबर, 2017 को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में एक बोलने वाले फैसले और आदेश द्वारा दिया गया था, जिसमें यह निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि नाबालिग बच्चे का सर्वोपरि हित अमेरिका लौटना था, ताकि वह अपने प्राकृतिक वातावरण में रह सके। पक्षों को काम करने की व्यवस्था करने और असुविधा को कम करने के लिए, प्रभाग

उच्च न्यायालय की पीठ ने निम्नलिखित शर्तों में निर्देश जारी किए:

" 139. उपरोक्त के आलोक में, हम इस बात से अधिक आश्वस्त हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 को नाबालिग बच्चे एम के सर्वोत्तम हित में, बच्चे के साथ यू. एस. ए. लौटना चाहिए, ताकि वह अपने एस. कनिका गोएल बनाम में हो सके।

एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

हालाँकि, यह निर्देश इसके बाद निर्धारित शर्तों पर सशर्त है। 140. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है, ताकि जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका लौटें, तो वह और नाबालिग बच्चा खुद को शत्रुतापूर्ण या नुकसानदेह वातावरण में न पाएँ। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि नाबालिग बच्चे के साथ प्रतिवादी संख्या 2 की वापसी याचिकाकर्ता की कीमत पर होनी चाहिए;

शिकागो, यू. एस. ए. में उनके प्रारंभिक प्रवास को भी पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता द्वारा दोनों पक्षों के वैवाहिक घर के आसपास एक अलग सुसज्जित आवास (पानी, बिजली, इंटरनेट कनेक्शन आदि जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ) प्रदान करके उनकी देखभाल की जानी चाहिए, जहां वे दिसंबर 2016 तक रहे हैं। इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता का दायित्व होना चाहिए कि वह प्रतिवादी संख्या 2 और नाबालिग बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उचित आवास प्रदान करे। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 दिसंबर 2016 में भारत आई थी और इसलिए उसने अपनी नौकरी बरकरार नहीं रखी होगी, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 और नाबालिग बच्चे के सभी खर्चों को भी पूरा करना चाहिए, जिसमें कम से कम छह महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए उनके भोजन, कपड़े और आश्रय के खर्च शामिल हैं, या जब तक कि प्रतिवादी संख्या 2 को अपने लिए एक उपयुक्त नौकरी नहीं मिल जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 के नौकरी खोजने के बाद भी, नाबालिग बेटी एम के खर्चों को पूरा करना याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसमें उसकी स्कूली शिक्षा, अन्य अतिरिक्त पाठ्यक्रम के खर्च शामिल हैं।

गतिविधियाँ, परिवहन, परिचर/नानी आदि, जो पहले भी याचिकाकर्ता द्वारा वहन किए जा रहे थे। याचिकाकर्ता को एक वाहन की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ताकि प्रतिवादी संख्या 2 अपने काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इधर-उधर घूम सके।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

141. यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने यू. एस. ए. में कार्यवाही शुरू की थी और प्रतिवादी संख्या 2 को उन कार्यवाही का बचाव करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है, याचिकाकर्ता को उन कानूनी खर्चों को भी पूरा करना चाहिए जो प्रतिवादी संख्या 2 को तब तक करना पड़ सकता है जब तक कि वह अपने लिए उपयुक्त नौकरी नहीं ढूंढ पाती। हालाँकि, यदि उत्तरदाता नहीं। 2 राज्य से कानूनी सहायता/आश्वासन का हकदार है, जिस हद तक उसे कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, कानूनी खर्च

याचिकाकर्ता द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है।

142. याचिकाकर्ता को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 2 के साथ नाबालिग बच्चे एम की यूएसए वापसी के बाद, की अभिरक्षा

एम प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास रहेगा और वह बल प्रयोग करके नाबालिग बच्चे को उक्त अभिरक्षा से बाहर नहीं निकालेगा। उसे यह भी कार्य करना चाहिए कि शिकागो, यू. एस. ए. में प्रत्यर्थी संख्या 2 के उतरने के बाद, पक्षकारों से भेंट और अभिरक्षा के अधिकार, जो भी हो सकता है,

संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित, सम्मानित किया जाएगा।

143. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि याचिकाकर्ता पक्षों के बीच किए गए विवाह-पूर्व समझौते की शर्तों को लागू करने की कोशिश करेगा। चूंकि उक्त समझौता भारत में किया गया है, इसलिए इसकी वैधता होनी चाहिए भारतीय कानून के अनुसार परीक्षण किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने पहले से ही उक्त विवाह पूर्व समझौते दिनांक 22.10.2010 को चुनौती देने के लिए घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा शुरू कर दिया है। हमने उक्त समझौते का अवलोकन किया है और हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस समझौते की शर्तों को लागू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, कम से कम जब तक कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पसंद किए गए उक्त मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय को एक वचन देना चाहिए कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत में किसी भी कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 के नुकसान के लिए उक्त विवाह पूर्व समझौते पर भरोसा नहीं करेगा या उसे लागू नहीं करेगा। विवाह पूर्व समझौते की वैधता को चुनौती देने वाले प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे में निर्णय होने तक यह वचन लागू रहेगा। हालाँकि, यह वचन याचिकाकर्ता के रास्ते में नहीं आएगा, जबकि

प्रत्यर्थी सं. 2 के उक्त मुकदमे का बचाव करना।

144. उपरोक्त व्यवस्थाओं और निर्देशों के साथ, हमारे विचार में, प्रत्यर्थी संख्या 2 को संभवतः एम के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। नंबर 2, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उसे एक नरम लैंडिंग करने में सक्षम बनाने के लिए है जब एस. कनिका गोएल बनाम।

एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

वह यू. एस. ए. के तटों पर पहुँचती है, ताकि कम से कम छह महीने की प्रारंभिक अवधि का ध्यान रखा जा सके, इस अवधि के दौरान वह अपने पैरों को ढूंढ सकती है और अपने दम पर रह सकती है, या एक व्यवस्था के तहत जैसा कि इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्षम न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इस स्तर पर, हम यह निर्देश देने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि एम की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को दी जाए ताकि वह उसे वापस यूएसए ले जाए। एम 4 साल से कम उम्र का एक छोटा बच्चा है, और वह भी एक महिला बच्चा है। हालाँकि वह याचिकाकर्ता के अपने पिता से जुड़ी हो सकती है, लेकिन वह अपनी माँ की आवश्यकता के लिए बाध्य है-प्रतिवादी नहीं। 2 अधिक। हमारे विचार में, एक बार जब एम अपनी माँ, यानी प्रतिवादी संख्या 2 के साथ यू. एस. ए. लौटती है, तो अभिरक्षा या सह-पालन के लिए पक्षकारों द्वारा यू. एस. ए. में सक्षम न्यायालयों से आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए।

इसके अलावा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों के लिए होगा कि वे अंततः एक-दूसरे के प्रति और नाबालिग बच्चे के प्रति पक्षों के वित्तीय दायित्वों और जिम्मेदारियों से संबंधित पहलू पर निर्णय लें-नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण के लिए-किसी भी निर्देश से स्वतंत्र

इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया। 145. याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं की अग्रिम प्रति के साथ दस दिनों के भीतर उपरोक्त पैरा 140 से 144 के संदर्भ में अपना शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इस मामले को 01.12.2017 पर सूचीबद्ध किया जाए ताकि हम शपथ पत्र को देख सकें और उसे अंतिम रूप से पारित कर सकें।

आदेश "।

9. उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय और आदेश और जारी किए गए राष्ट्रों द्वारा, जैसा कि अब तक पुनः प्रस्तुत किया गया है, अपीलार्थी के खिलाफ मूल मुद्दों का उत्तर उस सीमा तक दिया गया था जब तक इंगित किया गया था। उपर्युक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा 1 दिसंबर, 2017 को एक और आदेश दिया गया था जो इस प्रकार है:

" 1. हमारे दिनांकित 16.11.2017 निर्णय में निहित निर्देशों के संदर्भ में, याचिकाकर्ता करण गोयल ने दिनांकित 20.11.2017 का हलफनामा दायर किया है। हलफनामे के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने उस पर लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने का बीड़ा उठाया है और सहमति दी है, ताकि प्रतिवादी नहीं। 2 के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौट सकते हैं

छोटा बच्चा।

2. उत्तरदाता नं. 2 याचिकाकर्ता के उक्त हलफनामे पर एक जवाबी-हलफनामा भी दायर किया है। उत्तरदाता नं. 2 इस मुद्दे को उठाया है कि याचिकाकर्ता ने राशि और सुविधाओं [2018] 11 एस. सी. आर. को विशिष्ट नहीं किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता मामले में प्रतिवादी सं। 2 नाबालिग बच्चे के साथ अमेरिका जाना था।

याचिकाकर्ता अपने माता-पिता के साथ अदालत में मौजूद है। याचिकाकर्ता ने

न्यायालयमे प्रस्तावित विवरण/विवरण प्रस्तुत कयल गेल अछि।

हमारे निर्णय के संदर्भ में वित्तीय सहायता। उक्त विवरण/विवरण विज्ञापन इस प्रकार है:

' 1. उत्तरदाता सं. 2 द्वारा तारीख देने पर/यह माननीय न्यायालय

एक तारीख तय करते हुए जिस पर वह और नाबालिग बच्चा एम दिल्ली से शिकागो, इलिनोइस, यूएसए के लिए प्रस्थान करेंगे, याचिकाकर्ता करेगा उनके प्रस्थान की तारीख से कम से कम 3 [तीन] दिन पहले:

(i) नाबालिग बच्चा एम और प्रतिवादी संख्या 2 के लिए दिल्ली से यूएसए के लिए नॉन-स्टॉप उड़ान के साथ यूनाइटेड एयरलाइंस पर एयरलाइन टिकट बुक करें;

(ii) शिकागो में उतरने के बाद पहले सात (7) दिनों के लिए हयात रीजेंसी (नाबालिग बच्चे एम के प्रीस्कूल से 7 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित) में एक होटल का कमरा प्रदान करें ताकि प्रतिवादी संख्या 2 को (ए) आवास और (बी) कार के लिए पट्टे पर हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाया जा सके; और

2. याचिकाकर्ता पहले से ही भुगतान कर रहा है/कर रहा है

वेतन] नाबालिग बच्चे एम के लिए निम्नलिखित राशि और

(i) ब्राइट होराइजन्स लेकशोर ईस्ट में $2,100/माह का प्रीस्कूल टचूशन जहां वह सप्ताह में पांच दिन नामांकित होती थी; और (ii) ब्लू क्रॉस ब्लू के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा के लिए ~ $232/माह

इलिनोइस की ढाल।

3. उपरोक्त बिंदु 2 के अलावा, याचिकाकर्ता पहले महीने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को कुल 4,200 डॉलर/महीने के लिए निम्नलिखित राशियों (सभी राशियां अमेरिकी डॉलर = अमेरिकी डॉलर में) का भुगतान करेगा।

दिल्ली] और उसके बाद हर महीने की 28 तारीख तक

अगले महीने [छह महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए]:

(i) हाई-स्पीड इंटरनेट, एयर कंडीशनिंग और हीटिंग, पानी, कचरा के साथ पूरी तरह से सुसज्जित अपार्टमेंट के लिए किराए के रूप में $2,600/माह

निपटान, और एक वाहन के लिए पार्किंग; एस. कनिका गोएल बनाम।

एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

((ii) उत्तरदाता संख्या 2 के स्वास्थ्य बीमा के लिए $400/माह; (iii) नाबालिग बच्चे एम और प्रतिवादी संख्या 2 के लिए भोजन, आश्रय और कपड़ों के खर्च में $1,000/माह; और

(iv) कार पट्टे और कार बीमा के लिए $200/माह।

4. यदि कानूनी सहायता/आश्वासन प्रतिवादी संख्या 2 को उपलब्ध/प्रदान नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 को उसके कानूनी खर्चों के लिए 1,500 डॉलर प्रति माह की अतिरिक्त राशि देगा। उसके और नाबालिग बच्चे एम की वापसी के बाद पहले छह महीनों के लिए

शिकागो, इलिनोइस, यूएसए '।

4. हमने शपथ पर याचिकाकर्ता का बयान भी अलग से दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने हमारे निर्णय के संदर्भ में उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव का पालन करने के लिए इस अदालत को वचन दिया है। उन्होंने यह भी वचन दिया है कि उक्त शर्त के किसी भी उल्लंघन के मामले में, प्रतिवादी नं। 2 संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्षम न्यायालय के समक्ष इसे लागू कर सकते हैं।

5. उपरोक्त दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव दिया है कि वह एक एस्क्रो खाते में 25,000 अमेरिकी डॉलर की राशि जमा करेगा, जो उनके आदेशों पर संचालित की जाएगी।

प्रत्यर्थी सं. के आग्रह पर संचालन योग्य होगा। 2 उक्त न्यायालय के आदेशों के तहत किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में और जिस हद तक यह आवश्यक हो जाता है। 6. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष उस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक संक्षिप्त स्थगन की मांग करता है।

2017 , यह सहमति है कि याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता को आज, कल और कल डीएलएफ प्रोमेनेड मॉल, वसंत कुंज, नई दिल्ली में नाबालिग बच्चे एम से मिलने की अनुमति दी जाएगी। 8. आज की बैठक 6 के बीच होगी: 00 शाम 8 बजे तक: 00 शाम को, और शनिवार और रविवार को, बैठक 11 बजे से होगी: 00 ए. एम. से 2: 00 अपराह्न। याचिकाकर्ता ने इच्छा व्यक्त की है कि बैठक विशेष रूप से हो सकती है।

9. चूंकि प्रत्यर्थी नं. 2 आशंका है, याचिकाकर्ता ने कोर्ट मास्टर के पास अपना अमेरिकी पासपोर्ट जमा करने की पेशकश की है। कोर्ट मास्टर इसे कोर्ट और [2018] 11 एस. सी. आर. में सील कर देगा।

इसके बाद उसे उप-पंजीयक को सौंप दिया जाए।

सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए चिंतित। इसे तब तक अलग नहीं किया जाएगा जब तक कि इस न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है। 10. याचिकाकर्ता ने आश्वासन दिया है कि बच्चे को अनधिकृत रूप से नहीं ले जाया जाएगा और प्रतिवादी नं. 2 प्रत्येक तिथि पर बैठक के अंत में।

11. आगे की दिशाओं के लिए 06.12.2017 पर सूचीबद्ध करें। अगली तारीख को, बच्चे को अदालत में लाया जा सकता है ताकि याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता मध्यस्थता केंद्र में बाल कक्ष में 2: 30 अपराह्न 4 बजे तक: 30 अपराह्न।

12. कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत दस्ती का आदेश दें।

10. फिर से, 6 दिसंबर, 2017 को, सहयोगी को निम्नलिखित शर्तों में रिट याचिका का निपटान करने के लिए एक और आदेश पारित किया गया:

1. " श्री जौहर ने अदालत में याचिकाकर्ता द्वारा तीन अनुलग्नकों के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो हैं:

(i) याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा रखे गए संयुक्त खाते के संबंध में सिटीबैंक, यू. एस. ए. का एक बयान;

(ii) मोलश्री ए., शर्मा, ई. एस. क्यू. का एक हलफनामा। , शिकागो में स्थित मंडेल, लिप्टोन, रोज़बोरो एंड शर्मा लिमिटेड की कानूनी फर्म में भागीदार; और

(iii) उपरोक्त विधि फर्म द्वारा संचालित एस्क्रो खाते में 25,000 अमेरिकी डॉलर की जमा राशि दिखाने के लिए दस्तावेज।

उनके वकील के एस्क्रो खाते में 25,000 अमेरिकी डॉलर डाले गए। मोलश्री ए., शर्मा के हलफनामे में पुष्टि की गई है कि याचिकाकर्ता/करण गोयल द्वारा इस अदालत को दिए गए अपने वचन के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2/कनिका गोयल द्वारा उक्त एस्क्रो खाते का संचालन किया जा सकता है। 3. हम याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 और नाबालिग बच्चे के हितों को सुरक्षित करने के लिए हमारे दिनांकित निर्णय 16.11.2017 के संदर्भ में की गई उपरोक्त व्यवस्था से संतुष्ट हैं।

4. इन परिस्थितियों में, हम अब प्रतिवादी संख्या 2 को आज से दो सप्ताह के भीतर नाबालिग बच्चे एम के साथ यूएसए लौटने का निर्देश देते हैं, जिसमें विफल रहने पर नाबालिग बच्चे एम को सौंप दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता को यू. एस. ए. ले जाने के लिए।

एस. कनिका गोएल बनाम एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

5. हम देख सकते हैं कि प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान वकील ने इस आधार पर और समय मांगा है कि प्रत्यर्थी सं. 2 दिनांकित निर्णय पर हमला करना चाहता है और उच्चतम न्यायालय दिसंबर के उत्तरार्ध में शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रहेगा। 2017 और जनवरी, 2018 का प्रारंभिक भाग। हालाँकि, हम इस कारण से कोई और समय देने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 के लिए 23.12.2017 पर या उससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौटना अनिवार्य है, और यदि वह वापस नहीं आती है, तो उसके द्वारा आगे अनुपालन किए बिना संयुक्त राज्य अमेरिका के आप्रवासन विभाग द्वारा उसकी वापसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दे सकते जहां

प्रतिवादी संख्या 2 इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को विफल करने में सक्षम है।

अपने स्वयं के कार्यों और चूक के कारण।

6. इस न्यायालय में जमा किए गए याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को तुरंत वापस करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त पासपोर्ट श्री को वापस कर दिया जाए।

उसके माता-पिता बच्चे एम से मिलने के लिए, जबकि वे नई दिल्ली, भारत में हैं। श्री जौहर याचिकाकर्ता को पासपोर्ट तभी वापस करेंगे जब वह समय जब याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका लौटना होगा

कि बच्चे की अभिरक्षा प्रतिवादी संख्या 2 के पास है। 7. एक ओर याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता और दूसरी ओर बच्चे के बीच बैठक हमारे द्वारा पहले की गई व्यवस्था के अनुसार की जाएगी, यानी हर दो घंटे में।

कार्य दिवस, और सप्ताहांत में तीन घंटे, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमति हुई

दलों के बीच।

8. याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

11. उपरोक्त निर्णय और आदेशों से व्यथित होने के कारण, नाबालिग बच्चे एम की मां होने के नाते, लैंट ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के माध्यम से इस संबंध में संपर्क किया है।

. इस न्यायालय ने 15 दिसंबर, 2017 को नोटिस जारी किया, जब यह पारित हुआ

अंतरिम आदेश जारी करना:

" आदेश

नोटिस जारी करें।

जैसा कि डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री आर. एस. सूरी, श्री प्रभजीत जौहर के साथ विद्वान वरिष्ठ वकील, विद्वान वकील ने प्रतिवादी संख्या 2 के लिए उपस्थिति दर्ज की है, आगे कोई नोटिस नहीं।

जारी करने की आवश्यकता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जाए। प्रत्युत्तर

शपथ पत्र, यदि कोई हो, तो उससे एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।

इस मामले को 24 जनवरी, 2018 को सूचीबद्ध किया जाए।

एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि व्यवस्थाएँ

यात्रा अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा किया गया आदेश लागू रहेगा। याचिकाकर्ता-पत्नी किसी भी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करेंगे।

बच्चे के साथ पिता की बैठक में।

सुनवाई के दौरान हमें डॉ.

सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में ग्रीन कार्ड जारी किया गया

पत्नी का कार्यकाल 22 दिसंबर, 2017 को समाप्त होने वाला है। जो भी हो, यदि अंततः, याचिकाकर्ता इस कार्यवाही में हार जाता है और प्रतिवादी संख्या 2 सफल हो जाता है, तो ग्रीन कार्ड की समाप्ति पिता को बच्चे की अभिरक्षा से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। कहने की जरूरत नहीं है, अगर याचिकाकर्ता की पत्नी संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का इरादा रखती है

अमेरिका और ग्रीन कार्ड का नवीनीकरण करवाता है, उसके लिए ऐसा करने के लिए खुला है। हम यह भी दर्ज कर सकते हैं कि पति ने स्वीकार किया है, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील ने कहा है, कि वह उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही में नहीं फंसाया जाएगा।

उपरोक्त अंतरिम व्यवस्था का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय द्वारा 24 जनवरी, 2018 को एक और पारित किया गया था, जो इस प्रकार है:

" आदेश

श्री कपिल सिब्बल को सुना, वरिष्ठ वकील के साथ सुश्री.

मालविका राजकोटिया, याचिकाकर्ता की विद्वान वकील और डॉ।

A.M.Singhvi, श्री प्रभजीत के साथ विद्वान वरिष्ठ वकील जौहर, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील।

हालाँकि, हम अभी तक उच्च न्यायालय द्वारा की गई अंतरिम व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, दोनों पक्षों की कुछ शिकायतों को देखते हुए, हम एक आदेश पारित करने का इरादा रखते हैं।

स्थिति स्पष्ट करना।

पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद, यह निर्देशित किया जाता है

निम्नलिखित है:

(i) जब भी प्रत्यर्थी संख्या 2 भारत में उपलब्ध होगा, वह याचिकाकर्ता को ई-मेल द्वारा सूचित करेगा और इसकी एक प्रति भी भेजेगा।

याचिकाकर्ता के वकील को उक्त ई-मेल ताकि वह कर सके

एस. कनिका गोएल बनाम में पिता से मिलने के लिए बच्चे को उपलब्ध कराएँ।

एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रोमेनेड मॉल, वसंत कुंज सप्ताह के दिनों में शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक और छुट्टियों पर सुबह 11.00 से 2 बजे तक जब

स्कूल बंद है।

((ii) जब पिता बच्चे से मिलेंगे, तो वे बिना किसी पर्यवेक्षण के मिलेंगे। (iii) जब पिता भारत में नहीं होते हैं, तो शाम 7:30 बजे (भारतीय मानक) स्काइप के माध्यम से संवाद/बातचीत हो सकती है।

समय) या लाइन पर कोई अन्य मोड। (iv) बच्चे का पासपोर्ट, जो वर्तमान में पिता के पास है, एक सप्ताह की अवधि के लिए मां को सौंप दिया जाएगा।

कि वह निश्चित रूप से पूरा करने के लिए उचित कदम उठा सकती है

किसी विद्यालय में बच्चे के प्रवेश के लिए औपचारिकताएँ। यह निर्देश विशेष अनुमति याचिका में अंतिम परिणाम के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील Mr.Prabhjit जौहर को पासपोर्ट Ms.Malavika राजकोटिया द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

उत्तरदाताओं के लिए। अंतिम निर्णय के लिए मामले को दोपहर 2 बजे 19.02.2018 पर सूचीबद्ध किया जाए।

निपटान "।

ई प्रासंगिक अंतरिम आदेश हैं, जो अपीलों के निपटारे तक काम करने वाले थे। 18 मई, 2018 को इस न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा सहयोग न करने के बारे में एक शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया है -

निम्नलिखित रूप में दर्ज किया गया है:

" आदेश

जैसा कि पहले घंटे में उल्लेख किया गया है, यह मामला आज उठाया गया है।

यह ध्यान दिया जाए कि हमने आज इस मामले को सूचीबद्ध किया है क्योंकि यह बच्चे के साथ पिता के बातचीत के अधिकार से संबंधित है। सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी-पिता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रभजीत जौहर ने प्रस्तुत किया कि निर्देश

स्काइप संपर्क से संबंधित पहले के अवसर पर इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया

इनका पालन नहीं किया जा रहा है।

सुश्री मालविका राजकोटिया, विद्वान वकील

अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि कोई विचलन नहीं हुआ है और किसी में भी

मामला, माँ का किसी भी तरह से प्रभावित करने, अभियोग लगाने या दोषारोपण करने का इरादा नहीं है

स्काइप द्वारा बातचीत करने के अधिकार में हस्तक्षेप करना। सुश्री राजकोटिया ने

इस अदालत को आश्वासन दिया कि उनके मुवक्किल ने [2018] 11 एस. सी. आर. को कोई अवसर नहीं दिया है।

किसी भी शिकायत को उठाना और यदि पिता द्वारा कोई शिकायत की जाती है, तो उसका विधिवत समाधान किया जाएगा, ताकि इस न्यायालय का आदेश

विधिवत पालन किया गया। हमें यकीन है कि पक्षकार आज्ञाकारी वादियों की तरह व्यवहार करेंगे।

सुनवाई समाप्त हो गई और इस न्यायालय द्वारा निर्देशित अंतरिम व्यवस्था का अंतिम निर्णय की घोषणा तक पक्षों द्वारा पालन किया जाना था।

12. अपीलार्थी, नाबालिग बच्चे एम की माँ होने के नाते, उच्च न्यायालय के फैसले की अनदेखी करने के लिए आलोचना की है

एक नाबालिग बच्चे के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के मुद्दे को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक सिद्धांत जो अपनी माँ की कानूनी हिरासत में था। अपीलार्थी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने लगभग 4 साल की कम उम्र की नाबालिग लड़की के सर्वोपरि हित के सिद्धांतों को पूरी तरह से छिपाया है या अलग तरीके से रखा है, गलत अर्थ लगाया है और गलत तरीके से लागू किया है। इसी तरह, उच्च न्यायालय ने के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र में व्याख्या को ध्यान में रखते हुए एक नाबालिग लड़की की माँ की पसंद और गरिमा के सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया है। बनाम भारत संघ और Ors.[1] उच्च न्यायालय इस बात को भी ध्यान में रखने में विफल रहा है कि नाबालिग बच्चे का अंतरंग संपर्क उसकी माँ होगी जो उसकी प्राथमिक देखभाल करने वाली थी और उससे भी अधिक, जब वह अपनी माँ के साथ प्रासंगिक समय पर थी। माँ होने के नाते, अपीलार्थी को अपनी नाबालिग बेटी की देखभाल करने का मौलिक अधिकार था, जो नहीं हो सकता।

उच्च न्यायालय के पक्ष में आने वाले विचारों को कम करके या तुच्छ करके देखा गया। नाबालिक बालिका का कल्याण और सर्वोपरि हित निश्चित रूप से माँ की ओर होगा, अन्य सभी चीजें समान होंगी। नाबालिग लड़की की माँ की भूमिका को बच्चे के उपांग तक सीमित नहीं किया जा सकता है और माँ को ऐसे प्रतिकूल वातावरण में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जहाँ वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो।

उसे प्रताड़ित किया। ऐसा तब होगा जब माँ भी एक कामकाजी महिला होगी जिसका करियर उस स्थिति में दांव पर होगा जब उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाना था। उच्च न्यायालय को बाल अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, लेकिन जिन कारणों से उच्च न्यायालय प्रभावित हुआ, वे स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि यह पूर्व-संवैधानिक नैतिकता मानक के मूल्यों से प्रभावित था। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण, एक व्यवस्था को चित्रित करने के लिए, जिसे उसने माँ के लिए सबसे कम पूर्वाग्रह विकल्प के रूप में नोट किया, निर्णय लेने के लिए कोई जगह नहीं है

1 1 (2017) 10 एस. सी. सी. 1 एम. आर. एस.

कनिका गोएल बनाम। एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कम उम्र की नाबालिग लड़की की अभिरक्षा को उसकी माँ से हटाने और उसे उसके पिता को उसके मूल देश ले जाने के लिए देने का मुद्दा। उच्च न्यायालय ने निथ्या आनंद राघवन बनाम दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) और अन्र में बताए गए सिद्धांत को गलत समझा और गलत तरीके से लागू किया है। , 2 और प्रतीक गुप्ता बनाम शिल्पी गुप्ता और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की स्वायत्तता की पूरी तरह से अनदेखी की है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश वस्तुतः उसके सभी अधिकारों को कम कर देंगे और उसे अपने करियर और गरिमा की कीमत पर एक प्रतिकूल वातावरण में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित व्यवस्था को किसी भी मानक से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है

नाबालिग लड़की के सर्वोपरि हित और कल्याण से समझौता किए बिना माता-पिता के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था पर काम किया जाएगा

बच्चा। उच्च न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर नाबालिग लड़की के सर्वोत्तम हित के मुद्दे का जवाब देने में एक स्पष्ट त्रुटि की और इस महत्वपूर्ण तथ्य की अवहेलना की कि नाबालिग लड़की वर्तमान में अपने विस्तारित परिवार के साथ अपनी मां के साथ रह रही थी, जिसे प्रतिवादी संख्या 2-उसके पिता द्वारा अमेरिकी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर ले जाने पर वह पूरी तरह से वंचित हो जाएगी। यह भी तर्क दिया गया कि तर्क की प्रक्रिया में

अपीलार्थी द्वारा उन परिस्थितियों के बारे में की गई याचिका जिसमें वह घरेलू हिंसा के कारण नाबालिग लड़की के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से भाग गई थी, उक्त मुद्दे को तुच्छ बना दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच विवाह नई दिल्ली में आनंद कारज समारोह और हिंदू वैदिक संस्कारों के अनुसार संपन्न किया गया था, इसलिए यह तथ्य कि अपीलार्थी अपने पति के साथ रहने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गई थी, उससे उसकी स्थिति और राष्ट्रीयता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाबालिग लड़की के सर्वोत्तम हित के मुद्दे पर भी इसका कोई असर नहीं होगा।

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रस्तुत करेगा कि उच्च न्यायालय ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं का विश्लेषण किया।

इस न्यायालय के हाल के निर्णयों में बताए गए कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखें और नाबालिग लड़की के सर्वोत्तम हित के साथ-साथ नाबालिग लड़की को कुक काउंटी, इलिनोइस, यू. एस. ए. के सर्किट कोर्ट के समक्ष पेश करने की आवश्यकता के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करें, जिसका नाबालिग लड़की के साथ अंतरंग संपर्क था, क्योंकि नाबालिग लड़की का जन्म हुआ था और अपीलकर्ता द्वारा भारत में गुप्त रूप से हटाए जाने से पहले उस अदालत के अधिकार क्षेत्र में अधिवासित थी। यह तर्क दिया जाता है कि

चूँकि पिता और नाबालिग लड़की दोनों अमेरिकी नागरिक हैं और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माँ अमेरिका की स्थायी निवासी है और उस देश में अधिवासित है, केवल उस देश के न्यायालयों के पास निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा नाबालिग बालिका की अभिरक्षा और उसकी संरक्षकता सहित पक्षों के बीच वैवाहिक मुद्दे। इसके अलावा, लगभग 3 साल की कम उम्र में, नाबालिग लड़की ने शायद ही भारत में कोई समय बिताया था ताकि यह पता चल सके कि उसने भारत में चेतना प्राप्त कर ली है और इस प्रकार यह होगा

बच्चे के सर्वोत्तम हित में जिसे अमेरिका ले जाया जाए। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक बातों का विश्लेषण किया है।

निष्कर्ष को दर्ज करने से पहले तथ्य कि नाबालिग लड़की के कल्याण और सर्वोत्तम हित की सेवा संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने से की जाएगी। चूँकि वह निष्कर्ष अभिलेख पर मूर्त सामग्री पर आधारित है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापित किया गया है, इस न्यायालय को इसे पलटने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए और इससे भी अधिक, जब उच्च न्यायालय ने इक्विटी को संतुलित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं और नाबालिग बच्चे को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष पेश करने की सुविधा भी प्रदान की है। इस प्रकार जारी किए गए निर्देश निथ्या आनंद राघवन के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों से अलग नहीं हैं। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह न्यायालय मुख्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की जांच कर सकता है और यदि

आवश्यक, के हितों की रक्षा के लिए आगे के निर्देश जारी करें

अपीलार्थी, लेकिन किसी भी मामले में अपीलार्थी द्वारा ली गई याचिका, कि नाबालिग लड़की को अमेरिका नहीं लौटना चाहिए, को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह की कार्यवाही में एकमात्र विचार नाबालिग लड़की के कल्याण का पता लगाने के लिए होना चाहिए न कि बच्चों के अधिकारों पर निर्णय लेने के लिए।

भारत की यात्रा के लिए प्राप्त की गई अवधि समाप्त हो गई। प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रस्तुत करेगा कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में कोई हस्तक्षेप नहीं है वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में वारंट किया गया।

एमआरएस। कनिका गोएल बनाम। एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

14. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मालविका राजकोटिया और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा को सुना है। 15. हम पहले विवादास्पद मुद्दों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए विश्लेषण का विज्ञापन करेंगे। इसे पैराग्राफ से समझा जा सकता है।

102 विवादित निर्णय के बाद। उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि उसे पहले नाबालिग बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित के मुद्दे की जांच करनी चाहिए। इसने नोट किया कि नाबालिग लड़की लगभग 3 साल की थी जब 1 फरवरी, 2017 को बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट याचिका दायर की गई थी। इसने तब नोट किया कि प्रतिवादी संख्या 2-नाबालिग लड़की के पिता ने 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की थी और उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है। वह 1994 से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं और इस प्रकार हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिवासित। उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और शिकागो विश्वविद्यालय से एमबीए की योग्यता प्राप्त की थी। वह.

16. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की शिक्षा और व्यवसाय में उपलब्धि की ओर इशारा किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि दंपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया और उस देश में एक जोड़े के रूप में रहे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना घर बनाया और अपना पूरा वैवाहिक जीवन, सिवाय उस अवधि के जब वे भारत की छोटी यात्राओं पर थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताया था। उन्होंने 15 फरवरी, 2014 को उत्तर पश्चिमी स्मारक में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लड़की एम को जन्म दिया। अस्पताल, शिकागो, इलिनोइस, अमेरिका। नाबालिग बच्चा एम जन्म से एक अमेरिकी नागरिक है और 25 दिसंबर, 2016 को अपीलार्थी द्वारा भारत में गुप्त रूप से हटाए जाने तक वहीं पली-बढ़ी। वास्तव में, नाबालिग बच्चे ने शिकागो में प्री-स्कूल जाना शुरू कर दिया था और अगस्त, 2016 से स्कूल में पूर्णकालिक कार्यक्रम था। इस प्रकार, एम का मानसिक विकास जबकि [2018] 11 एस. सी. आर.

वह 2016 के अंत तक यू. एस. ए. में थी, इस हद तक हुई थी कि वह अपने आसपास के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी और जागरूक थी। वह अपने आसपास के वातावरण को समझती और आत्मसात करती थी और न केवल अपने माता-पिता के साथ, बल्कि अपने अन्य रिश्तेदारों, पूर्व-विद्यालय में अपने साथियों, अपने प्रशिक्षकों, शिक्षकों और अन्य देखभाल करने वालों के साथ भी संवाद करती थी। अमेरिकी जीवन शैली और प्रणालियाँ पहले से ही एम द्वारा सीखी और अनुभव की प्रक्रिया में थीं जब वह दिसंबर, 2016 में भारत आई थीं। एम अपने विकास के दौरान जिस वातावरण का अनुभव कर रही थी, वह शिकागो, यू. एस. ए. का प्राकृतिक वातावरण था। उनके माता-पिता दोनों

उसकी उचित परवरिश का ध्यान रखना। अदालत ने यह भी नोट किया कि नाबालिग बच्चे एम के दादा-दादी उससे मिलने और बातचीत कर रहे थे। इसके बाद अदालत ने सुरिंदर कौर संधू बनाम हरबक्स सिंह संधू और Anr.[1], अविरल मित्तल बनाम राज्य 3, शिल्पा अग्रवाल बनाम अविरल मित्तल और Anr.6, डॉ. वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ और अन्य मामलों के फैसलों को स्वीकार किया। , और निथ्या आनंद राघवन (ऊपर), को

राय है कि अमेरिका में न्यायालय एम की अभिरक्षा के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त न्यायालय प्रतीत होता है, यह देखते हुए कि इसका पक्षों और बच्चे के साथ अंतरंग संपर्क था। इसने यह देखा कि यह न तो इच्छुक था और न ही इसकी विस्तृत जांच करने की स्थिति में था।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा, भेंट और सह-पालन के पहलुओं, सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, विकसित परिस्थितियाँ और साक्षय संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। यह कहने के बाद, इसने अपीलार्थी द्वारा अदालत को एम को उसके मूल देश और उस वातावरण में लौटने के लिए निर्देश जारी करने से रोकने के लिए प्रकट किए गए बाध्यकारी कारणों की जांच की जहां वह पैदा हुई थी और उठाया जाता है। वह विश्लेषण अनुच्छेद 114 में किया गया है। उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 114 से 117 में अपीलार्थी की शिकायतों पर निम्नलिखित शब्दों में विचार किया:

" 114. प्रत्यर्थी का आरोप सं। 2 याचिकाकर्ता और उसकी माँ के खिलाफ यह है कि याचिकाकर्ता की माँ एक सख्त आदेश का पालन करती है पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली और दंपति पर भी यही लागू करता है, जिससे उत्तरदाता को पुरानी पीठ दर्द भी होता है क्योंकि वह एक कठोर पर्यावरण के अनुकूल गद्दे पर सोने के लिए मजबूर थी। वह दावा करती है कि उसके सभी दिन-प्रतिदिन के मामले उसकी सास की जीवन शैली से प्रभावित थे, जैसे कि प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग नहीं करना, नॉन स्टिक कुकवेयर,

4 (1984) 3 एस. सी. सी. 698

6 (2010) 1 एस. सी. सी. 591 7 (2010) 1 एस. सी. सी. 174 एस. कनिका गोएल बनाम

एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद आदि। प्रतिवादी के पास इस मामले में कोई आवाज नहीं थी। याचिकाकर्ता ने घरेलू मामलों में कम से कम रुचि ली, जबकि उसकी माँ ने पक्षकारों के जीवन में हस्तक्षेप किया

उनकी अनुसूची। याचिकाकर्ता और उसकी माँ ने प्रतिवादी की निजता का सम्मान नहीं किया और पक्षकारों की बच्चे को जन्म देने की योजना का खुलासा याचिकाकर्ता की माँ को पहले ही कर दिया गया था। उन्होंने प्रतिवादी पर जीवन शैली में बदलाव भी लागू किए। याचिकाकर्ता की माँ ने भी प्रतिवादी को एक धर्मनिरपेक्ष परिवार बनाए रखने की अनुमति नहीं दी। उन्हें सिख और हिंदू दोनों त्योहार मनाने की अनुमति नहीं थी और याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि वे केवल सिख त्योहार मनाएँ। उत्तरदाता नं. 2 उनका कहना है कि अक्टूबर 2014 में उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला था। याचिकाकर्ता और उसकी माँ ने जोर देकर कहा कि प्रतिवादी दवा लेने के बजाय सर्जरी से गुजरता है, क्योंकि दवा से उसके लिए भविष्य में गर्भ धारण करना मुश्किल हो जाता। उसका दावा है कि याचिकाकर्ता ने उसे तलाक की धमकी भी दी थी, अगर उसने अपने परिवार का विस्तार करने की कीमत पर अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। प्रतिवादी याचिकाकर्ता और उसकी माँ के खिलाफ कई अन्य आरोप लगाता है और उसके प्रति क्रूरता और उदासीनता की शिकायत करता है।

115. उपरोक्त आरोप याचिकाकर्ता या उसकी माँ की ओर से किसी भी गंभीर अवांछनीय आचरण या विचलित व्यवहार का सुझाव नहीं देते हैं-भले ही उन्हें कुछ समय के लिए सच माना जाए। दूर से भी आरोप, ऐसा नहीं है कि नाबालिग बच्चे एम को किसी भी प्रतिकूलता, नुकसान, अवांछनीय प्रभाव या खतरे का सामना करना पड़ सकता है यदि उसे उनसे मिलने या संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके साथ समय बिताने की अनुमति दी जाती है। यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता-एम के पिता, या उनकी दादी एम पर बुरा और अवांछनीय प्रभाव छोड़ेंगे।

ये आरोप ऐसे नहीं हैं जो इस अदालत को बच्चे एम को उसके मूल देश और प्रारंभिक पालन-पोषण में वापस नहीं भेजने के लिए राजी करें। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता एक शिक्षित व्यक्ति प्रतीत होता है जो लाभप्रद रूप से अपने व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है, और रिकॉर्ड पर दी गई तस्वीरें एम और उसके पिता के बीच स्वस्थ संबंध को दर्शाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एम के पालन-पोषण में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था-यदि

अपनी याचिका में उनके द्वारा किए गए कथनों पर विश्वास किया जाना चाहिए। वास्तव में, उत्तरदाता नं। 2 उसने एम को याचिकाकर्ता के साथ बातचीत करने और उसे मिलने के अधिकारों की अनुमति देने की इच्छा भी व्यक्त की थी, जो कि अगर वह उसे खराब [2018] 11 एस. सी. आर. मानती तो ऐसा नहीं होता।

प्रभाव, या उसकी बेटी के लिए एक संभावित खतरा। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता की माँ एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वास्तव में, एक आश्वस्त करने वाला तथ्य है कि एम की कोमल वर्षों में चिकित्सकीय रूप से अच्छी देखभाल की जाएगी। याचिका के साथ याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई तस्वीरों से पता चलता है कि एम की परवरिश तब हुई जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका में थी। वह अपने माता-पिता और अन्य लोगों के प्यार, देखभाल और संगति का आनंद लेती है-जिसमें उसके बच्चे भी शामिल हैं।

उम्र। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे उस वातावरण से उखाड़े जाने दिया जाए जिसमें वह स्वाभाविक रूप से बड़ी हो रही थी, और

एक ऐसे वातावरण में बनाए रखा जाए जहां उसे अपने पिता और दादा-दादी का प्यार, देखभाल और ध्यान न मिले, इसके अलावा उसके साथियों, शिक्षकों, स्कूल और अन्य देखभाल करने वाले जो हाल तक उसके साथ थे।

116. प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोपों से ऐसा प्रतीत होता है

कि उसे याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता-विशेष रूप से सास के साथ रहने और समायोजन करने के मुद्दे हो सकते हैं। हालाँकि, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है, एम के साथ उसके आचरण और उसकी उपस्थिति, या उस मामले के लिए, दादा-दादी को भी, एम के लिए हानिकारक या हानिकारक कहा जा सकता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अगर एम को उसके मूल स्थान पर वापस भेजा जाता है जहाँ उसने अपने जीवन के शुरुआती तीन साल बिताए थे-यह देखते हुए कि वे तीन साल इस ग्रह पर उसके पूरे अस्तित्व के तीन चौथाई से अधिक हैं, किसी भी तरह से उसके हित के लिए हानिकारक होंगे।

117. पार्टियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की, और जैसा कि उनके आचरण से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उनकी आपसी प्रतिबद्धता खर्च करने की थी

उनका वैवाहिक जीवन और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने बच्चों की परवरिश करना। यह सुझाव देने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से कभी भी अपने निवास स्थान से भारत में किसी स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए सहमत हुए या इरादा रखते थे, हालांकि प्रतिवादी नहीं। 2 एकतरफा रूप से ऐसा वांछित हो सकता है। में। ऐसी स्थिति में, हमारे विचार में, प्रत्यर्थी संख्या 2 बिना किसी वैध औचित्य के अपनी मातृ प्रतिबद्धता का उल्लंघन नहीं कर सकती है और एम-जो एक अमेरिकी नागरिक है और जाहिर है, उसके पिता और दादा-दादी, उसके घर, उसकी नानी, उसके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और उसके साथियों और दोस्तों से जुड़ी होगी, जो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, के साथ भारत में रह सकती है।"

17. यह कहने के बाद, उच्च न्यायालय ने तर्क एम. आर. एस. पर विचार किया।

कनिका गोएल बनाम। एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि वह प्राथमिक देखभाल करने वाली थी, लेकिन यह देखते हुए इसकी अवहेलना की गई कि नाबालिग लड़की को उसके मूल देश में वापस करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार अकेले नहीं बनाया जा सकता है, और इससे भी अधिक, जब नाबालिग लड़की अपने पिता के प्यार, स्नेह और देखभाल की भी हकदार है। न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी को कुछ भी नहीं रोकता है यदि वह चाहे तो संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने से। इसके अलावा, यह तथ्य कि नाबालिग लड़की नए दोस्त बनाएगी और भारत में एक नए स्कूल में नई देखभाल करने वाले और शिक्षक होंगे, उसे अपने जैविक पिता के प्यार और स्नेह या दादा-दादी के पालन-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

जो बच्चे के संवारने और पालन-पोषण के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण था। अदालत ने तब ध्यान दिया कि "बच्चे का सर्वोत्तम हित" अभिव्यक्ति का अर्थ व्यापक है और यह केवल प्राथमिक देखभाल करने वाले यानी मां के प्यार और देखभाल तक सीमित नहीं हो सकता है। इसके बाद इसने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह इस तथ्य से अवगत था कि उक्त अधिनियम इस मुद्दे की जांच करने के लिए मामले पर सख्ती से लागू नहीं हो सकता है।

बच्चे का सर्वोत्तम हित। विवादित फैसले के पैराग्राफ 124 से 126 में, इसने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 124. इस प्रकार, बच्चे के संबंध में सभी निर्णय प्राथमिक विचार पर आधारित होने चाहिए कि वे बच्चे के सर्वोत्तम हित में हैं और बच्चे को पूरी क्षमता तक विकसित करने में मदद करने के लिए। जब माता-पिता में से किसी एक की भागीदारी को बच्चे के हित के लिए हानिकारक नहीं दिखाया जाता है, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि बच्चे की पूरी क्षमता विकसित करने के लिए, यह आवश्यक है कि बच्चे को अपने माता-पिता दोनों का प्यार, देखभाल और ध्यान प्राप्त हो, न कि केवल उनमें से एक का। जिसने दूसरे माता -पिता के साथ अपने मतभेदों के आधार पर किसी दूसरे देश में फिर से बसने का फैसला किया होगा। बच्चे की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए दोनों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।

माता-पिता। जिस बच्चे को माता-पिता दोनों का प्यार, देखभाल और ध्यान नहीं मिलता है, वह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित होने के लिए बाध्य है। भावनात्मक आघात, विशेष रूप से यदि बच्चा छोटा और कम उम्र का है। कानून इस तथ्य को भी मान्यता देता है कि बच्चे की देखभाल, पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से जैविक परिवार पर आती है। "जैविक परिवार" का मतलब निश्चित रूप से दो माता-पिता में से केवल एक नहीं हो सकता है, भले ही वह माता-पिता प्राथमिक देखभाल करने वाले हों।

125. जेजे अधिनियम बच्चे की बहाली को पुनः [2018] 11 एस. सी. आर. के रूप में प्रोत्साहित करता है।

जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ एकजुट होना, और उसी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बहाल होना जिसमें वह था, उस वातावरण से हटाए जाने से पहले, जब तक कि इस तरह की बहाली या प्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में न हो। वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां प्रतिवादी संख्या 2 अमेरिका से भाग गया हो या याचिकाकर्ता के ऐसे किसी भी आचरण के कारण भारत में रहने का फैसला किया हो, जो उसके अपने हित या नाबालिग बच्चे के हित के लिए हानिकारक हो सकता है। भारत में वापस आना पूरी तरह से उसके लिए व्यक्तिगत है, और अकेले उसके लिए। यह नाबालिग बच्चे एम के सर्वोत्तम कल्याण पर विचार करने पर आधारित नहीं है। वास्तव में, बच्चे एम के सर्वोत्तम हित को प्रतिवादी नं। 2 एम के साथ भारत में वापस रहने का फैसला करते हुए।

126. विशेष रूप से, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता द्वारा 14.01.2017 पर डीडी No.20B दिनांक 14.01.2017 पर पीएस-वसंत कुंज (दक्षिण), नई दिल्ली में की गई लापता व्यक्ति रिपोर्ट के जवाब में अपने बयान में कहा कि 'पार्टियां अपनी बेटी एम के साथ नई दिल्ली, भारत आई थीं। उन्होंने आगे कहा कि कि इस दौरान , मुझे एहसास हुआ कि मैं उनकी दबी हुई शादी को जारी नहीं रखना चाहता और के. जी. के खिलाफ तलाक और हिरासत याचिका दायर करना चाहता हूं। अरुण कुमार आर्य, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली एच. एम. ए. No.27/के माध्यम से

17 ..... ' . इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 2 के बयान से यह प्रतीत होता है कि यह एहसास कि वह अपनी शादी जारी नहीं रखना चाहती थी, उसे केवल तभी हुआ जब वह भारत आई, और ऐसा नहीं है कि जब उसने दिसंबर 2016 में अमेरिका के तटों को छोड़ा, तो वह अपने दिमाग में एक स्पष्ट निर्णय के साथ चली गई कि वह अमेरिका नहीं लौटेगी।

कोई विशिष्ट और उचित कारण।

18. इसके बाद 20 नवंबर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाए गए बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित किया गया था।

11 दिसंबर, 1992 को भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी भारत सरकार का प्रस्ताव। "बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर, 2003" तैयार करने वाले 9 फरवरी, 2004 के प्रस्ताव No.6-15/98 सी. डब्ल्यू. के माध्यम से विकास और न्यायालय ने पैराग्राफ 138 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

" 138. इस प्रकार, बच्चे का सबसे अच्छा कल्याण, आम तौर पर, उसके माता-पिता दोनों के साथ एक खुशहाल, प्रेमपूर्ण और देखभाल करने वाले वातावरण में रहने में निहित होगा, जहां माता-पिता सभी एम. आर. एस. में बच्चे के पालन-पोषण में योगदान करते हैं।

कनिका गोएल बनाम। एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जीवन के क्षेत्र, और बच्चे को भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक और भौतिक समर्थन प्राप्त होता है-कुछ नाम। एक दूषित विवाह में, दुर्भाग्य से, कुछ निवेशों में हानि होना तय है जो आदर्श रूप से बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए आवश्यक हैं। तब न्यायालय के समक्ष चुनौती यह निर्धारित करने की होगी कि

और एक ऐसी व्यवस्था पर पहुँचें, जो किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सर्वोत्तम संभव समाधान प्रदान करती है, ताकि

बच्चे का सर्वोत्तम हित "।

परीक्षण तीन-निथ्या आनंद में इस न्यायालय का न्यायाधीश पीठ का निर्णयअघवन का मामला, (ऊपर दिया गया), जिसमें विचाराधीन विषय पर पहले के निर्णयों का विस्तृत विश्लेषण करने का अवसर मिला है। प्रतीक गुप्ता बनाम हिलपी गुप्ता और अन्य मामलों में इस न्यायालय के बाद के फैसले में पहले के फैसलों में किसी भी व्याख्या को फिर से दोहराया गया है और फिर से पुष्टि की गई है। , (ऊपर)। इसलिए, आइए हम इन दोनों निर्णयों पर फिर से विचार करें। निथ्या आनंद राघवन के मामले के पैराग्राफ 40 में,

ऊपर), इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 40. न्यायालय ने नोट किया है कि भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं "अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं" पर 1980 का हेग सम्मेलन। गैर-सम्मेलन देशों के संबंध में,

कानून यह है कि उस देश की अदालत जिसमें बच्चे के पास है

हटा दिया गया है योग्यता के आधार पर प्रश्न पर विचार करना चाहिए बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि महत्व देते हुए और विदेशी न्यायालय के आदेश को केवल एक कारक के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए, जब तक कि अदालत बच्चे के हित में संक्षिप्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित न समझे।

और उसकी शीघ्र वापसी उसके कल्याण के लिए है। संक्षिप्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए और यह राय होनी चाहिए कि उसके समक्ष शुरू की गई कार्यवाही निकटता में थी और बच्चे को उसके मूल राज्य से हटाए जाने के तुरंत बाद दायर की गई थी

और अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लाए जाने पर, बच्चे की जड़ें यहाँ और आगे नहीं बढ़ी हैं कि बोली जाने वाली भाषा या सामाजिक रीति-रिवाजों और संपर्कों में अंतर के कारण अपने मूल राज्य में लौटना बच्चे के कल्याण में होगा। अभ्यस्त या ऐसे अन्य ठोस कारण। ऐसे मामले में अदालत को बच्चे के सर्वोपरि कल्याण के गुणों की विस्तृत जांच का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस जांच को विदेशी [2018] 11 एस. सी. आर. पर छोड़ देना चाहिए।

अदालत ने बच्चे की वापसी का निर्देश दिया। यह ध्यान दिया जाए कि असाधारण मामलों में अदालत अभी भी वापस करने के लिए निर्देश जारी करने से इनकार कर सकती है

मूल राज्य में बच्चा और विशेष रूप से पूर्व स्थिति के बावजूद

बच्चे को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान या अन्यथा जगह दें असहनीय स्थिति में या यदि बच्चा काफी परिपक्व है और उसकी वापसी पर आपत्ति करता है। हम उपरोक्त व्याख्या के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं।

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 42 में फिर से, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 42. इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि यदि बच्चे को भारत के भीतर लाया गया है, तो भारत में अदालतें निम्नलिखित आचरण कर सकती हैं: (क) सारांश जाँच; या (ख) अभिरक्षा के प्रश्न पर एक विस्तृत जाँच। संक्षिप्त जाँच के मामले में, न्यायालय इसे उपयुक्त मान सकता है -

बच्चे की उस देश में वापसी का आदेश दें जहां से उसे हटाया गया था, जब तक कि ऐसी वापसी बच्चे के लिए हानिकारक नहीं दिखाई जाती है। दूसरे शब्दों में, संक्षिप्त जांच के मामले में भी, अदालत के लिए यह खुला है कि वह उस देश में बच्चे की वापसी की राहत को अस्वीकार कर दे जहां से उसे हटा दिया गया था, चाहे कोई भी मामला हो। विदेशी न्यायालय द्वारा बच्चे की वापसी का पूर्व-विद्यमान आदेश। एक विस्तृत जाँच में, न्यायालय गुण-दोष की जाँच करने के लिए बाध्य है कि बच्चे के सर्वोपरि हित और कल्याण कहाँ हैं और

बच्चे की वापसी के लिए विदेशी अदालत के पहले से मौजूद आदेश के तथ्य को केवल एक परिस्थिति के रूप में लें। दोनों ही मामलों में, अदालत द्वारा विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (जिस देश में बच्चे को हटा दिया गया है) एस. कनिका गोएल बनाम का उत्तर देना है।

एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बच्चे के कल्याण के अनुसार मुद्दा। ऐसा करना ही पड़ता है।

तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए

प्रत्येक मामला स्वतंत्र रूप से। यहां तक कि बारीकी से जांच करने पर भी

अभिरक्षा या बच्चे को वापस करने के मामले का निर्णय लेना देशी राज्य "।

(जोर दिया गया)

1 रिपोर्ट किए गए लेख के पैराग्राफ 46 और 47 पर भी विज्ञापन देना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

मामला, बच्चे की वापसी का निर्देश दे सकता है या अभिरक्षा को बदलने से इनकार कर सकता है बच्चे के सभी उपस्थित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और

ऊपर निर्दिष्ट तय की गई कानूनी स्थिति सहित परिस्थितियाँ।

एक बार फिर, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि

प्रत्येक मामले में न्यायालय को तथ्यों की समग्रता पर निर्भर होना चाहिए।

बच्चे के कल्याण पर विचार करना जो सर्वोपरि है विचार करें। विदेशी न्यायालय के आदेश को मान लेना चाहिए

बच्चे का कल्याण। इसके अलावा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपाय

ऐसे अन्य उपचार के लिए जो प्रवर्तन के लिए कानून में अनुमत हो विदेशी न्यायालय द्वारा पारित आदेश या किसी अन्य का सहारा लेना

भारतीय न्यायालय के समक्ष कानूनी रूप से अनुमत कार्यवाही बच्चे की अभिरक्षा के लिए, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

47. उपरोक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, उच्च न्यायालय ने सीमा पर जांच करनी चाहिए कि क्या नाबालिग वैध है

या किसी अन्य व्यक्ति की गैरकानूनी हिरासत (निजी प्रतिवादी)

निजी उत्तरदाता कोई और नहीं बल्कि प्राकृतिक संरक्षक था नाबालिग उसकी जैविक माँ है।

एक बार यह तथ्य

[2018] 11 एस. सी. आर है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुनिश्चित किए जाने पर, यह माना जा सकता है कि नाबालिग की उसकी माँ के साथ अभिरक्षा वैध है। इस मामले में, केवल

अपवादात्मक स्थिति में, नाबालिग (बालिका) की अभिरक्षा को लिखित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पति (बच्चे के पिता) सहित किसी अन्य व्यक्ति को दिए जाने के लिए उसकी मां से छीनने का आदेश दिया जा सकता है। इसके बजाय, दूसरे माता-पिता को बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए एक ठोस निर्धारित उपाय का सहारा लेने के लिए कहा जा सकता है।

(जोर दिया गया)

फिर से पैराग्राफ 50 में, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में व्याख्या की:

परिस्थितियों में, देश में बच्चे की वापसी को अस्वीकार करना नाबालिग बच्चे के हित और कल्याण में होगा जहाँ से उसे हटाया गया था; तब ऐसा आदेश निर्धारित समय के भीतर बच्चे की वापसी का निर्देश देने वाले विदेशी न्यायालय के आदेश के तथ्य के साथ निर्धारित किए बिना पारित किया जाना चाहिए, क्योंकि विदेशी न्यायालय के आदेश को बच्चे के कल्याण के लिए माना जाना चाहिए। इस मुद्दे का उत्तर देने के लिए, कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र या गणितीय सटीकता नहीं हो सकती है। न ही यह तथ्य कि दूसरे माता-पिता ने पहले ही विदेशी अदालत का दरवाजा खटखटाया था या बच्चे को पेश करने के लिए विदेशी अदालत से आदेश प्राप्त करने में सफल रहे थे, एक निर्णायक कारक हो सकता है। इसी तरह, नाबालिग की अभिरक्षा रखने वाले माता-पिता ने बच्चे की अभिरक्षा के लिए किसी भी ठोस कार्यवाही का सहारा नहीं लिया है, अदालत द्वारा विचार किए जाने वाले बच्चे के सर्वोत्तम हितों और कल्याण के व्यापक सिद्धांत को कम नहीं कर सकते हैं। यह सर्वोपरि विचार होना चाहिए।

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 67 और 69 में न्यायालय ने इस प्रकार प्रस्ताव दिया: " 67. सभी चार मामलों के तथ्यों पर मुख्य रूप से प्रतिवादी 2 द्वारा भरोसा किया गया था, हमारी राय में, अदालत को जारी करने की आवश्यकता थी

बच्चे को मूल राज्य में वापस करने का निर्देश। इसका मतलब यह नहीं है कि योग्य मामलों में भारत में अदालतों को एस. कनिका गोएल बनाम से अस्वीकार कर दिया जाता है।

एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बच्चे को केवल मूल राज्य में वापस करने के लिए राहत देने से इनकार करना

सक्षम विदेशी न्यायालय के पूर्व-विद्यमान आदेश के कारण

अधिकार क्षेत्र। हालाँकि, इस मामले पर विचार करना होगा कि

मामला आधार-चाहे वह संक्षिप्त जांच हो या विस्तृत जांच।

इसके परिणामस्वरूप समान स्थिति की पुनरावृत्ति होती है और केवल इस निर्णय पर बोझ पड़ता है।
XXX

XXX

XXX

बच्चे को वापस करने का संक्षिप्त अधिकार क्षेत्र

69. .....

उन मामलों में अभ्यास किया जाना चाहिए जहां बच्चे को हटा दिया गया था अपनी मूल भूमि से और दूसरे देश में ले जाया गया जहाँ,

हो सकता है, उसकी मूल भाषा नहीं बोली जाती है, या बच्चे को मिल जाती है

सामाजिक रीति-रिवाजों और संपर्कों से तलाक ले लिया जिससे वह

अभ्यस्त हो गया है, या यदि उसकी शिक्षा उसकी पैतृक भूमि में हुई है

बाधित किया जाता है और बच्चे को एक विदेशी के अधीन किया जा रहा है

शिक्षा प्रणाली, इनके लिए ऐसे सभी कार्य हैं जो कर सकते हैं

बच्चे को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करता है। फिर से सारांश

अधिकारिता का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब वह न्यायालय जिसमें बच्चा है।

हटा दिया गया है तुरंत और जल्दी स्थानांतरित किया जाता है। द ओवरराइडिंग

बच्चे के हितों और कल्याण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

20. इस स्तर पर, हम पैराग्राफ 70 को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं।

1 रिपोर्ट किए गए निर्णय का, जिसका कुछ असर हो सकता है

इस मामले में पारित करने का आदेश। वही इस प्रकार पढ़ा जाता है:

" 70. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि नाबालिग बच्चे (नेत्रा) के प्राप्त करने के बाद

बालिग होने की उम्र में, वह जाने के लिए अपनी पसंद का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी

ब्रिटेन जाएँ और अपने पिता के साथ रहें। लेकिन जब तक वह बहुमत हासिल नहीं कर लेती,

उसे अपनी माँ की अभिरक्षा में रहना चाहिए जब तक कि अदालत

बाल आदेशों की अभिरक्षा के मुद्दे का प्रयास करने वाला सक्षम क्षेत्राधिकार इसके विपरीत। हालाँकि, पिता को मिलने का अधिकार दिया जाना चाहिए,

जब भी वे भारत आते हैं। वह कम से कम नोटिस देकर ऐसा कर सकता है। दो सप्ताह पहले अपीलार्थी को लिखित रूप में सूचित करना और यदि

ऐसा अनुरोध प्राप्त हो जाता है, अपीलार्थी को सकारात्मक रूप से जवाब देना चाहिए

उत्तरदाता 2 श्री आनंद को मिलने का अधिकार देने के लिए लिखना राघवन (पिता) सप्ताह में दो बार प्रतिदिन दो घंटे के लिए

दिल्ली में उल्लिखित स्थान या जैसा कि अपीलार्थी द्वारा सहमति दी जा सकती है,

जहाँ अपीलार्थी या उसके प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

आयोजन स्थल पर या उसके पास। प्रत्यर्थी 2 और न ही [2018] 11 एस. सी. आर. के हकदार होंगे।

बच्चे (नेत्रा) को उक्त से बाहर निकालने का कोई भी प्रयास करें। स्थल। अपीलार्थी प्रत्यर्थी 2 के मिलने के अधिकारों का पालन करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाएगा। इसके अलावा, अपीलकर्ता प्रत्यर्थी 2 श्री आनंद राघवन को टेलीफोन/मोबाइल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर नेत्रा के साथ बातचीत करने की अनुमति देगा।

स्कूल की छुट्टियों पर शाम 5 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच।

71. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी यू. के. न्यायालय के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही की अवहेलना नहीं कर सकता है। उसे उच्च न्यायालय के समक्ष अपने मुद्दे का समर्थन करने के लिए अपनी पसंद के वकीलों को शामिल करके उन कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। इसके लिए प्रतिवादी 2 आनंद राघवन मुकदमेबाजी और खर्चों का खर्च उठाएंगे। अपीलार्थी द्वारा वहन किया जाना। यदि अपीलार्थी को उक्त कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक है और जिसके लिए वह है

यू. के. की यात्रा करने के लिए आवश्यक, प्रतिवादी 2 आनंद राघवन हवाई किराया वहन करेंगे या अपीलार्थी और नेत्रा की यू. के. की यात्रा के लिए टिकट खरीदेंगे और जिसमें भारत की उनकी वापसी यात्रा भी शामिल होगी जो आवश्यक हो। इसके अलावा, प्रतिवादी 2 आनंद राघवन उचित लागत पर अपनी पसंद के एक स्वतंत्र स्थान पर अपीलार्थी और उसके साथियों के आरामदायक प्रवास के लिए सभी व्यवस्थाएँ करेंगे। यदि अपीलार्थी को यू. के. में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, तो प्रत्यर्थी 2 उसके खिलाफ कोई दंडात्मक प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के लिए दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं और यदि ऐसी कोई कार्यवाही पहले से ही लंबित है, तो उसे पहले इसे वापस लेने के लिए कदम उठाने चाहिए और/या संबंधित न्यायालय के समक्ष इसे आगे नहीं बढ़ाने का वचन देना चाहिए। यह अपीलार्थी के समक्ष उपस्थित होने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त होगी।

यू. के. में संबंधित अदालत "।

21. एक गुप्ता (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के बाद के फैसले में, पहले के सभी फैसलों का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय ने 49 से 51 के ग्राफ में इस प्रकार उल्लेख किया:

" 49. इस मुद्दे पर न्यायिक घोषणा की गंभीरता अपने मूल देश से हटाए गए बच्चे का प्रत्यावर्तन स्पष्ट रूप से इसकी समग्र अनिवार्यता पर आधारित है।

कल्याण, न्यायालयों की सामूहिकता का सिद्धांत, और

"अंतरंग संपर्क और निकटतम चिंता" के सिद्धांत

बावजूद इसके। यद्यपि न्यायालयों की सामूहिकता का सिद्धांत और एस. कनिका गोएल बनाम।

एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उपरोक्त सिद्धांत एक विदेशी अदालत के लिए जिसके क्षेत्र से एक बच्चे को हटा दिया जाता है, ऐसे कारक हैं जो बच्चे की अभिरक्षा और प्रत्यावर्तन के मुद्दे को तय करने में ध्यान देने योग्य हैं, यह अब समग्र नहीं है कि हमेशा प्रमुख निर्धारक होगा

बच्चे का कल्याण और हित। दूसरे शब्दों में, इन सिद्धांतों/सिद्धांतों के आह्वान को प्रत्येक मामले के असंख्य परिचर तथ्यों और परिस्थितियों की कसौटी पर आंका जाना चाहिए, अंतिम जीवित चिंता बच्चे का कल्याण है, अन्य कारक स्वीकार्य रूप से उसके अधीन हैं। हालांकि इसमें प्रत्यावर्तन के मुद्दे के निर्णय की प्रक्रिया, एक अदालत एक संक्षिप्त जांच को अपनाने और बच्चे को उसके मूल देश में तत्काल बहाल करने का आदेश देने का चुनाव कर सकती है, यदि आवेदक/माता-पिता अपनी पहल में त्वरित और सतर्क हैं और

मौजूदा परिस्थितियाँ बच्चे के कल्याण की अत्यधिक आवश्यकता में इस तरह के पाठ्यक्रम को फिर से उचित ठहराती हैं, ऐसा पाठ्यक्रम कानून में अनुमोदित हो सकता है, यदि कोई प्रयास नहीं किया गया हो। प्रासंगिक कारकों की समझ अपरिवर्तनीय गवाही देती है,

इसके शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तित्व पर प्रतिकूल और प्रतिकूल प्रभाव, इस प्रकार इसे दृश्यमान, निरंतर और अपूरणीय हानिकारक और

शून्यवादी क्षीणन। दूसरी ओर, यदि आवेदक/माता-पिता

50. 'अंतरंग संपर्क' और 'निकटतम चिंता' के सिद्धांत प्रेरक प्रासंगिकता के होते हैं, केवल तभी जब बच्चे को उसके मूल देश से उखाड़ फेंका जाता है और उसके समग्र विकास और संवारने की प्रक्रिया पर विकृत प्रभाव के संकेत के साथ विदेशी वातावरण, भाषा, प्रथा आदि का सामना करने के लिए किसी स्थान पर ले जाया जाता है। 51. यह लगातार माना गया है कि वार्डशिप अधिकार क्षेत्र में कोई मंच सुविधा नहीं है और गैर-आरक्षित [2018] 11 एस. सी. आर. को सुरक्षित करने का दायित्व न्यायिक मिशन को रेखांकित करने वाला अनिवार्य जनादेश है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बच्चे का कल्याण सर्वोपरि विचार है।

(जोर दिया गया)

पुनः, निर्णय के अनुच्छेद 53 में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 53. ..... बच्चे के प्रत्यावर्तन के संबंध में मुद्दा, जैसा कि पूर्ववर्ती व्याख्याएँ प्रमाणित करेंगी

के कानूनी अधिकारों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए

पक्षकार लेकिन एकमात्र और प्रमुख मानदंड पर नाबालिग का कल्याण। जैसा कि ऊपर बताया गया है, तत्काल

बच्चे की बहाली केवल एक त्रुटिहीन स्थिति में की जाती है। तत्काल और अपरिवर्तनीय की संभावना की समझ

इसे नुकसान पहुँचाएँ और अन्यथा नहीं। जैसा कि यह है, कोमल वर्षों का एक बच्चा,

लचीले और प्रभावशाली दिमाग और नाजुक और

कमजोर शरीर को गंभीर झटका लगेगा अगर

प्रारंभिक वर्ष। इस प्रकार यह आवश्यक है कि जब तक, उस देश में बच्चे की निरंतरता जिसके लिए यह किया गया है

हटा दिया गया, निर्विवाद रूप से हानिकारक है, जब इस पर निर्णय लिया जाता है

समग्र दृष्टिकोण, धारणाओं और

व्यावहारिकताएँ, इसे हटाया और निकाला नहीं जाना चाहिए

पर्यावरण और सेटिंग से जो इसे मिला था

उसकी भलाई के लिए समायोजित किया गया। "

(जोर दिया गया)

22. इन फैसलों के बाद, यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि हिरासत

नाबालिक कन्या का उसकी जैविक माँ के साथ रहना गैरकानूनी होगा, क्योंकि इसके विपरीत धारणा है। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आगे कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उसे नाबालिग महिला बच्चे की मूल देश में वापसी के अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा जाता है, तो उसके पास संक्षिप्त जांच का सहारा लेने या एक याचिका दायर करने का विकल्प है।

विस्तृत जाँच, जो दिए गए मामले की तथ्य स्थिति में आवश्यक हो सकती है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इच्छुक नहीं था

एक विस्तृत जाँच करना। सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने इसे दर्ज करने के लिए अप्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखा है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि नाबालिग लड़की, जो अपनी जैविक माँ की अभिरक्षा में थी, को उसके मूल देश वापस कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि निथ्या आनंद राघवन के मामले (ऊपर) में कहा गया है, न्यायालय को एम. आर. एस. सुनिश्चित करते समय तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए।

कनिका गोएल बनाम। एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

न्यायालय ने कहा कि न्यायनिर्णायक मिशन सर्वोपरि विचार के रूप में बच्चे के अनारक्षित कल्याण को सुरक्षित करने का दायित्व है। इसके अलावा, "अंतरंग और निकटतम चिंता" का सिद्धांत प्रेरक प्रासंगिकता का है, केवल तभी जब बच्चे को उसके मूल देश से उखाड़ फेंका जाता है और विदेशी वातावरण, भाषा, प्रथा आदि का सामना करने के लिए किसी स्थान पर ले जाया जाता है, जिसमें इसके समग्र विकास और संवारने की प्रक्रिया पर विकृत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से अपीलार्थी की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया और उन शिकायतों को खारिज करते हुए, नाबालिग लड़की को उसके मूल देश लौटने का निर्देश देकर प्रतिवादी संख्या 2 को राहत प्रदान की। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर, हमारी राय में, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि मूल भाषा (अंग्रेजी) नहीं बोली जाती है या बच्चे को उन सामाजिक रीति-रिवाजों से अलग कर दिया गया है जिनकी वह आदी रही है। इसी तरह, नाबालिग बच्ची ने अपनी माँ के साथ नई दिल्ली आने से पहले यू. एस. ए. में प्री-स्कूल में प्रवेश किया था। इस मायने में कोई व्यवधान नहीं था

उसकी शिक्षा या विदेशी शिक्षा प्रणाली के अधीन होना

उसे मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने की संभावना है। दूसरी ओर, नाबालिग बच्चा एम नई दिल्ली में आने के बाद से अपनी माँ और नाना-नानी और अन्य रिश्तेदारों की उचित देखभाल में है। यदि वह प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दावा की गई राहत के अनुसार अमेरिका लौटती है, तो वह अनिवार्य रूप से एक नानी की देखभाल में होगी क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 दिन के समय काम के लिए बाहर होगी और परिवार से कोई और उसकी देखभाल करने के लिए घर पर नहीं होगा। उसे एक प्रशिक्षित नानी के अधीन रखना हानिकारक नहीं हो सकता है लेकिन इससे निश्चित रूप से बचा जा सकता है। क्योंकि, नाबालिग बच्चे के अलग होने के बाद मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान होने की संभावना है। उसकी माँ, जो उसकी प्राथमिक देखभाल करने वाली है। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी संख्या 2 की प्रार्थना के अनुसार नाबालिग बच्चे एम की अमेरिका वापसी का निर्देश देने का कोई ठोस कारण नहीं है और न ही नई दिल्ली में उसकी मां के साथ, उसके नाना-नानी और विस्तारित परिवार के साथ रहने का कोई कारण है, जो किसी भी तरह से उसके लिए प्रतिकूल है, जिससे उसकी अमेरिका वापसी सुनिश्चित होती है।

23. जैसा कि इस न्यायालय के हाल के फैसलों में स्पष्ट किया गया है, इस मुद्दे का निर्णय दावा करने वाले पक्षों के अधिकारों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा लेकिन ध्यान लगातार इस बात पर रहना चाहिए कि नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित का तथ्य मूल देश लौटना है या नहीं। यह तथ्य कि नाबालिग बच्चे के अपने मूल देश लौटने पर बेहतर संभावनाएँ होंगी, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा प्रदान करने के लिए एक ठोस कार्यवाही में एक प्रासंगिक पहलू हो सकता है लेकिन [2018] 11 एस. सी. आर.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में सीमा मुद्दों की जांच करने के लिए निर्णायक नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के उद्देश्य से, न्यायालय को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि नाबालिग बच्चे को मूल देश से हटा दिया गया है और उसे विदेशी वातावरण, भाषा, प्रथा आदि का सामना करने के लिए एक ऐसी जगह पर ले जाया गया है जो उसके समग्र विकास और संवारने में हस्तक्षेप करती है और क्या वहाँ बने रहना हानिकारक होगा। यह इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण रहा है जैसा कि हाल ही में निथ्या आनंद राघवन (उपरोक्त) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में दोहराया गया है, और दो-प्रतीक गुप्ता (ऊपर) में न्यायाधीश पीठ का निर्णय। एक ही पहलू पर अन्य निर्णयों को गुणा करना अनावश्यक है।

24. वर्तमान मामले में, नाबालिग बच्चा एम जन्म से अमेरिकी नागरिक है।

वह अपने मूल देश में तीन साल से अधिक समय से पली-बढ़ी है, इससे पहले कि उसे उसकी जैविक माँ (अपीलार्थी) द्वारा नई दिल्ली लाया गया था।

दिसंबर 2016। उन्होंने यू. एस. ए. के एक प्री-स्कूल में दाखिला लिया था। अपने पिता (उत्तरदाता संख्या 2) के साथ उनका स्वस्थ संबंध था। उनके दादा-दादी कुछ अंतराल पर अमेरिका में उनसे मिलने आते थे। वह दिन के समय एक नानी की देखभाल में थी, क्योंकि उसके माता-पिता काम कर रहे थे। वास्तव में, उसके पिता का कार्यस्थल घर के पास है। जैविक पिता (नाबालिग बच्चे एम के प्रतिवादी नंबर 2) ने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली है। नाबालिग बच्चे एम के पिता और माँ दोनों भारतीय मूल के थे लेकिन शादी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिवासित थे। माँ (अपीलार्थी) संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थायी निवासी है-ग्रीन कार्ड धारक और उसने अमेरिकी नागरिकता के लिए भी आवेदन किया है। 30 नवंबर, 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने हलफनामे में, उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी कानूनी स्थिति थी

जटिल क्योंकि वह एक भारतीय नागरिक नहीं रह गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता की उसकी स्थिति अधर में है।

25. जो भी हो, पिता ने इसके समक्ष एक रिट याचिका दायर की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग बच्चे को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट जारी करने और उसके बिना अमेरिका लौटने के निर्देश देने के लिए

किसी भी

समय की हानि। इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों पक्षों ने 19 मार्च, 2011 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नागरिक विवाह किया और मूल देश में सह-निवास किया और नाबालिग बच्चे एम को जन्म दिया जो कम से कम तीन साल तक उस वातावरण में पले-बढ़े, इस तथ्य के साथ कि पिता और नाबालिग बच्चा

एम अमेरिकी नागरिक हैं और माँ संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थायी निवासी हैं, सबसे करीबी संपर्क और अधिकार क्षेत्र संभवत: कुक के सर्किट कोर्ट का है।

काउंटी, इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका। हालाँकि, यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने इस संबंध में कोई अंतिम राय व्यक्त की है। साथ ही, यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पहली बार एम. आर. एस. पर शादी की थी।

कनिका गोएल बनाम। एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

31 अक्टूबर, 2010 सिख संस्कारों के अनुसार, अर्थात आनंद करज समारोह, और

हिंदू वैदिक संस्कार और उस विवाह को नई दिल्ली में संपन्न किया गया था, जिस समय अपीलार्थी स्वीकार्य रूप से भारत का नागरिक था।

वर्तमान में, वह केवल अमेरिका की ग्रीन कार्ड धारक (स्थायी निवासी) हैं। इसलिए, यह बहस योग्य है कि क्या नई दिल्ली के परिवार न्यायालय, जहां अपीलकर्ता पहले ही विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर कर चुका है, के पास नाबालिग बच्चे के संबंध में अभिरक्षा और संरक्षकता के प्रश्न पर निर्णय लेने सहित उस ओर से अधिकार क्षेत्र है। सबसे पहले अपीलार्थी से अमेरिकी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और नाबालिग बच्चे एम को उस न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कहा जाता है।

26. यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी और नाबालिग बच्चा वर्तमान में नई दिल्ली में हैं और अपीलार्थी का उसके पास लौटने का कोई इरादा नहीं है

यू. एस. ए. में वैवाहिक गृह अपीलार्थी को अपने पिछले अनुभव के कारण आशंकाएँ और गंभीर आपत्तियाँ हैं

जिसे हम इस कार्यवाही में फैलाना आवश्यक नहीं समझते हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए जिसे विवाह के विघटन और/या अभिरक्षा देने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बुलाया गया है। नाबालिग बच्चे पर, जैसा भी मामला हो। कुछ समय के लिए, हम देख सकते हैं कि पक्षों को दो अलग-अलग देशों में समानांतर कार्यवाही करने से बचना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच पहली शादी 31 अक्टूबर, 2010 को आनंद कारज समारोह और हिंदू वैदिक संस्कारों के अनुसार नई दिल्ली में हुई थी और शादी को भंग करने के लिए नई दिल्ली में याचिका दायर की गई है। जबकि, कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट में 19 मार्च, 2011 को नागरिक विवाह समारोह,

संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपीलार्थी के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। यह उचित है कि नई दिल्ली के परिवार न्यायालय में लंबित कार्यवाहियों का निर्णय पहले उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न सहित किया जाए। उक्त कार्यवाहियों के परिणाम के आधार पर, पक्षकार सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष ऐसे अन्य उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगे जिनकी कानून में अनुमति हो।

27. जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह सच है कि प्रतिवादी संख्या 2 और नाबालिग बच्चा एम दोनों ही अमेरिकी नागरिक हैं। नाबालिग लड़की के पास अमेरिकी पासपोर्ट है और एक कार्यकाल वीजा पर भारत की यात्रा की है जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी जैविक माँ की गैरकानूनी हिरासत में है। अपीलार्थी के साथ उसकी अभिरक्षा फिर भी विधिसम्मत होगी।

अमेरिका में अपने प्राकृतिक वातावरण में उनकी वापसी। ऐसी स्थिति में निथ्या आनंद के मामले में इस अदालत द्वारा निर्देशित व्यवस्था राघवन (ऊपर), जैसा कि अनुच्छेद 70-71 में बताया गया है, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में एक उचित आदेश पारित करने में कुछ मदद कर सकता है।

जैविक माँ को अमेरिका लौटने का निर्देश देने के साथ

नाबालिग लड़की, ताकि अमेरिका में सक्षम अदालत के समक्ष पेश हो सके। इसमें, नाबालिग लड़की एम की अभिरक्षा तब तक अपीलार्थी के पास रहेगी जब तक कि वह बालिग होने की आयु प्राप्त नहीं कर लेती है या सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के मुद्दे पर विचार कर रहा है, इसके विपरीत आदेश देता है, जैविक पिता से मिलने और पहुँच के अधिकारों के साथ जब भी वह भारत की यात्रा करेगा और विशेष रूप से जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 11 (ग्यारह) में पुनः प्रस्तुत हमारे द्वारा पारित अंतरिम आदेश में वर्णित है।

28. नई दिल्ली में पारिवारिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर, अपीलार्थी तब कानूनी रूप से बाध्य हो सकता है। अमेरिकी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने के लिए और कुक काउंटी, इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्किट कोर्ट के समक्ष अपने कारण का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी पसंद के वकीलों को शामिल करके उक्त कार्यवाही में अपना बचाव करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। उस घटना में, प्रतिवादी

सं. 2 अपीलार्थी द्वारा स्थानीय न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले मुकदमेबाजी और खर्चों की लागत वहन करेगा।

देश। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 2 हवाई किराया वहन करेगा या अपीलार्थी और नाबालिग बच्चे एम की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के लिए टिकट खरीदेगा और भारत के लिए उनकी वापसी यात्रा सहित, जो भी आवश्यक हो। प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थी और उसके साथियों के आरामदायक प्रवास के लिए उचित कीमत पर अपनी पसंद के स्वतंत्र स्थान पर सभी उपयुक्त व्यवस्था भी करेगी। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं करेगा और यदि उस संबंध में उसके द्वारा शुरू की गई कोई भी कार्यवाही लंबित है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा और संबंधित न्यायालय के समक्ष आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

आगे। अपीलार्थी को सभी मामलों में प्रभावी ढंग से अपना बचाव करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने में सुविधा प्रदान करने के लिए यह पूर्ववर्ती शर्त होगी। वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले और नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा और संरक्षकता सहित।

29. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 को एम. आर. एस. का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना चाहिए।

कनिका गोएल बनाम। एस. एच. ओ. और ए. एन. आर. के माध्यम से दिल्ली राज्य। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

ए अपीलार्थी को नाबालिग बालिका की अभिरक्षा प्रदान करने की कार्यवाही, जो पटियाला हाउस, नई दिल्ली में परिवार न्यायालय के समक्ष स्थापित और लंबित है। उस संबंध में पक्षों को उपलब्ध सभी दलीलों का जवाब परिवार न्यायालय को अपने गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार देना होगा।

30. हम, तदनुसार, विवादित निर्णय को दरकिनार करते हैं और बी आदेश देते हैं।

उच्च न्यायालय की ओर से और उपरोक्त शर्तों में रिट याचिका का निपटारा करना। अपीलों की अनुमति लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के दी जाती है।

निधि जैन